अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष- 43, अंक- 14, 1-15 मार्च 2020

सर्व सेवा संघ के 72 साल

सत्य • अहिंसा • सत्याग्रह
सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
SARVA SEVA SANGH
(Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
Truth • Nonviolence • Satyagraha

सर्व सेवा संघ को हज़ार साल टिकना चाहिए और उसकी बुनियाद आध्यात्मिक होनी चाहिए। सर्व सेवा संघ अखिल भारत को जोड़ने वाला है, वह समस्त दुनिया को भी जोड़ने वाला है। नये समाज के निर्माण में कुछ बड़ा पार्ट हम अदा कर सकते हैं। नये समाज का रूप क्या होगा, हमें उसकी भी कल्पना करनी चाहिए। हमें परिवर्तन की दिशा में कदम आगे बढ़ा के जाना है।

— आचार्य विनोबा

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 43, अंक : 14, 01-15 मार्च 2020

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. सर्व सेवा संघ के 72 साल... 3
3. सर्व सेवा संघ के अधिवेशनों की सूची... 5
4. सर्व सेवा संघ का 88वां अधिवेशन... 6
5. अध्यक्ष की कलम से... 7
6. सर्व सेवा संघ तथा संस्थाओं का... 8
7. सविनय प्रतिरोध की पूर्व सूचना... 10
8. विस्मृति और अन्याय के विरुद्ध... 13
9. जेल की बैरक से... 15
10. खंडित सामाजिक-न्यायिक व्यवस्था... 17
11. लोक-विमर्श... 18
12. गतिविधियां एवं समाचार... 19
13. तीन कविताएं... 20

संपादकीय

सर्वोदय की क्रांति साधना

औपनिवेशिक शासन से आजादी के बाद भारत एक नव-क्रांति की दहलीज पर था। दुनिया के सारे देशों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नयी व्यवस्था के निर्माण की जिम्मेदारी राजसत्ता की ही मानी गयी थी। गांधीजी के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष ने एक और मार्ग प्रशस्त किया था। वह यह कि भविष्य की क्रांति अहिंसक क्रांति होगी। और, इस अहिंसक क्रांति की प्रेरणा शक्ति व संचालन शक्ति दोनों अहिंसक होंगे।

राजसत्ता की शक्ति का स्रोत तथा संचालन शक्ति दोनों हिंसा की संगठित शक्ति व दंड शक्ति पर आधारित हैं। इसलिए सर्वोदय आंदोलन ने राजसत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता विचारपूर्वक छोड़ दिया। इससे भिन्न, लोकसत्ता के निर्माण तथा लोकशक्ति के माध्यम से नव-सृजन के कार्य को आगे बढ़ाया। ऐसा प्रयोग दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था।

इसका प्रारंभिक बिन्दु, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व से 'सबै भूमि गोपाल की' के विचार की ओर लौटना था। राजसत्ता के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण कर उसे भूमिहीनों के बीच वितरित करने के बजाय लोग अपना स्वामित्व स्वयं छोड़ना शुरू करें तो अहिंसक क्रांति के अनुकूल वातावरण बन सकेगा, भूदान आंदोलन इस विचार की ही अभिव्यक्ति थी। ग्राम-दान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि गांव की भूमि का लगान व्यक्तिगत न होकर समस्त ग्राम का एक हो। जमीन पर सरकार गांव के स्वामित्व को स्वीकार करे, व्यक्ति के स्वामित्व को नहीं। भूदान एवं ग्रामदान के मार्ग को तय करते हुए यह अभियान ग्राम-स्वराज्य तक जाये, तो ग्राम-स्वराज्य के माध्यम से लोकसत्ता का प्रकटीकरण होगा।

समाज में हिंसा प्रेरित गतिविधियों के कारण जो द्वन्द्व हैं, उनका निराकरण अहिंसक शक्ति के माध्यम से हो, इसका प्रयोग भी सर्वोदय आंदोलन ने किया। दस्युओं द्वारा आत्म-समर्पण, साम्प्रदायिक दंगों में शांति प्रयास, कश्मीर व नागालैण्ड जैसे प्रदेशों में नागरिक पहल से शांति की बहाली आदि प्रयास सर्वोदय आंदोलन द्वारा किये गये। किन्तु दूसरी ओर राजसत्ता, अधिकाधिक केन्द्रीकृत होती चली गयी। विकास के नाम पर केन्द्रीकृत उद्योगों का फैलाव तथा पूंजी का केन्द्रीकरण, इनके दो परिणाम सामने आने लगे। एक प्राकृतिक संसाधनों पर केन्द्रीकृत व्यवस्थाओं का वर्चस्व बढ़ता गया, जिससे परम्परागत समुदायों की बेदखली, विस्थापन एवं पलायन बढ़ता गया एवं समुदाय के स्वामित्व की परिकल्पना छिन्न-भिन्न होती चली गयी। दूसरे लोकसत्ता के निर्माण का कार्य एवं लोकशक्ति द्वारा परिवर्तन की संभावना कमजोर होती चली गयी। इन सबके परिणामस्वरूप राजसत्ता एवं लोकसत्ता के बीच टकराव अपरिहार्य हो गया। टकराव की इस अपरिहार्यता से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जन्म हुआ। इसका मुख्य फोकस यह था कि केन्द्रीकृत शक्तियों के ऊपर लोकसत्ता का नियंत्रण कैसे कायम हो। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार तथा 'जनता ही सरकार' को मूर्त रूप देने का यह आंदोलन था। तीसरी बात यह कि जनता के आंदोलन, अब राजनीतिक दलों के दायरे के बाहर खड़े किये जायेंगे, यह बात भी स्थापित हुई।

इन सभी संघर्षों में आंदोलन का पक्ष जितना मजबूत था, वैकल्पिक रचना का पक्ष उतना ही कमजोर था। इस कारण आंदोलन के दौरान जो प्रचंड जनशक्ति प्रकट होती रही, वह कोई स्थाई स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकी। इस बीच वैश्वीकरण की शक्तियों के प्रभाव-विस्तार के कारण लोकसत्ता के निर्माण का काम और कमजोर पड़ गया। वैश्वीकरण की शक्तियों का समर्थन करने वाली राजनीतिक शक्तियों ने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की नयी भूमि का निर्माण शुरू कर दिया ताकि लोक की एकता का निर्माण न हो सके। चूंकि सूचना एवं विचार निर्माण के सारे साधन इनके नियंत्रण में हैं, इसलिए संकीर्ण पहचान आधारित सामाजिक गिरोहों का निर्माण आसान हो गया, वैसी ही मानसिकता बनायी जाने लगी। इस कारण सर्वोदय आंदोलन के सामने और बड़ी चुनौतियां खड़ी होती चली गयीं।

आज अहिंसक क्रांति के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण की शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और दोहन के खिलाफ खड़े होने की, परम्परागत समुदायों के विस्थापन व पलायन के खिलाफ खड़े होने की, गांव और खेती को नष्ट करने की साजिशों को नाकाम करने की, लोक में संकीर्ण पहचानों को मजबूत बनाकर लोक एकता को कमजोर करने की साजिशों को नाकाम करने की और इन सबके साथ लोक अधिकारों को अक्षुण्ण बनाये रखने की चुनौतियां। आज, जबकि एक संगठन और एक आंदोलन के तौर पर हम अपनी यात्रा के 72 साल पूरे कर रहे हैं, एक सवाल हमसे जवाब मांग रहा है—लोग तैयार हैं, क्या हम हैं?

–बिमल कुमार

स्थापना दिवस : 15 मार्च पर विशेष

सर्व सेवा संघ के 72 साल

❑ महादेव विद्रोही

सर्व सेवा संघ की स्थापना : पूज्य महात्मा गांधी भारत के पुनर्निमाण के लिए 7 लाख गांवों में 7 लाख जिंदा शहीद खड़ा करना चाहते थे। इस कार्य को संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए वे चाहते थे कि सर्वोदय विचार की सभी संस्थाएं आपस में मिल जायें एवं एक मज़बूत राष्ट्रीय संगठन खड़ा हो। इस दृष्टि से उन्होंने 2-3 फरवरी 1948 में एक सम्मेलन बुलाया था, पर इससे पूर्व ही उन्हें हमसे छीन लिया गया।

फरवरी 1948 में होने वाला सम्मेलन 13-15 मार्च 1948 को महादेवभाई भवन, सेवाग्राम में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ.जाकिर हुसैन, डॉ.जे.सी.कुमारप्पा, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संत तुकडोजी महाराज, आशादेवी आर्यनायकम, ई. डब्ल्यू आर्यनायकम, कमलनयन बजाज, राधाकृष्ण बजाज, हरिनारायण चौधरी, प्रफुल्लचन्द्र घोष, आचार्य जे.बी. कृपलानी, कोंडा व्यंकटप्पय्या, बाला साहब खेर, रघुनाथ श्रीहरि धोत्रे, जी. वी. रामचन्द्रन, बीबी अम्तुस्सलाम, श्रीमन्नारायण, प्यारेलाल, ठक्कर बापा, मृदुला साराभाई, किशोरलाल मशरूवाला, भाऊ धर्माधिकारी, दादा धर्माधिकारी, आर. आर. दिवाकर, देवदास गांधी, पुरुषोत्तम गांधी, कृष्णदास जाजू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, जैनेन्द्र कुमार, हरेकृष्ण मेहताब, गुलजारीलाल नंदा, सुशीला पै, झवेरभाई पटेल, व्योहार राजेन्द्र सिंह, मृदुला साराभाई, सरला बहन साराभाई, स्वामी सत्यानंद, पंडित सुंदरलाल आदि राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में 'अखिल भारत सर्व सेवा संघ' एवं 'सर्वोदय समाज' का गठन हुआ।

सर्व सेवा संघ का उद्देश्य : सर्व सेवा संघ का उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें जीवन मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से अनुप्राणित हो, जो शोषण, दमन, अनीति और अन्याय से मुक्त हो तथा जिसमें मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो।

इस उद्देश्य की सिद्धि की दृष्टि से संघ,

राज्य सत्ता की प्राप्ति के लिए होने वाली प्रतिद्वंद्विता से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा। वह ऐसे लोकतंत्र के विकास तथा स्थापना के लिए प्रयत्नशील होगा, जिसका आधार दलीय राजनीति नहीं, बल्कि शासन निरपेक्ष लोकनीति होगी। वह समाज में जाति, पंथ, सम्प्रदाय, वर्ण, लिंग, रंग, भाषा तथा देश आदि के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभाव को नहीं स्वीकार करेगा। उसका प्रयत्न होगा कि ऐसी जीवन-पद्धति का विकास हो, जिसमें मानव-मानव के बीच निरंतर समता और साझेदारी बढ़े, वर्गों का निराकरण हो, पूंजी और श्रम का विरोध मिटे तथा विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत खादी, ग्रामोद्योग, खेती और पशुपालन जीविका के मुख्य साधन बनें।

संघ अपने कार्यक्रमों द्वारा शांति, प्रेम, मैत्री, करुणा और न्याय की उदात्त भावनाओं को जागृत करेगा तथा वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करेगा। अहिंसा की मर्यादाओं का पालन करते हुए संघ लोकशक्ति का निर्माण करेगा तथा सम्पूर्ण क्रांति के द्वारा सर्वोदय की सिद्धि के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों और आवश्यकतानुसार सत्याग्रह के उपायों का प्रयोग करेगा।

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष : आरंभ में संघ का कोई अध्यक्ष नहीं होता था। हर बैठक में अध्यक्ष चुना जाता था। यह पद्धति 1954 तक चली। बाद में स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की गयी और अध्यक्ष का चुनाव प्रारंभ हुआ। सर्व सेवा संघ के अब तक हुए अध्यक्षों की सूची इस प्रकार हैं –

1. श्री धीरेन्द्र मजूमदार	21.04.1954
2. श्री वल्लभ स्वामी	23.06.1956
3. श्री नवकृष्ण चौधरी	13.04.1961
4. श्री मनमोहन चौधरी	16.11.1962
5. श्री एस.जगन्नाथन्	23.04.1969
6. श्री सिद्धराज ढड्ढा	16.05.1972
7. श्री आचार्य राममूर्ति	17.06.1978
8. श्री ठाकुरदास बंग	17.07.1979
9. श्री रवीन्द्रनाथ उपाध्याय	18.01.1985
10. श्री यशपाल मित्तल	23.12.1987
11. श्री पी.गोपीनाथन नायर	14.04.1989
12. श्री नारायण देसाई	19.11.1995
13. डॉ. गंगाप्रसाद अग्रवाल	09.11.1998
14. श्री अमरनाथ भाई	01.12.2001
15. डॉ. सुगन बरंठ	08.12.2007
16. सुश्री राधा भट्ट	19.02.2011
17. श्री महादेव विद्रोही	02.03.2014

आरंभ में सर्व सेवा संघ संस्थाओं का संघ था। बाद में इसे लोकसेवकों का संगठन बना दिया गया।

सर्वोदय कार्यकर्ताओं को विविध सम्मान

भारत रत्न : आचार्य विनोबा भावे को 1983 में (मरणोपरांत), सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में (मरणोपरांत), लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1998 में (मरणोपरांत) भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

रैमन मेग्सेसे पुरस्कार : लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, चंडीप्रसाद भट्ट, मणिभाई देसाई तथा लक्ष्मीचंद जैन को रैमन मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पद्मविभूषण : सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, जैनेन्द्र कुमार, बाबा आमटे, मीरा बहन (मेडिलिन स्लेड), इला भट्ट, मनुभाई पंचोली 'दर्शक' तथा डॉ. उषा मेहता को पद्मविभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।

पद्मश्री : आशादेवी आर्यनायकम्, डाह्याभाई नायक, काका कालेलकर, रवि शंकर महाराज, मगनभाई रणछोडभाई पटेल, मणिभाई देसाई, जीवनलाल जयराम राव, मणिबहन कारा, चार्ल्स एम.कोरिया, सुंदरलाल

बहुगुणा, हुंदराज दुखायल माणिक, यशपाल जैन, ईश्वरभाई पटेल तथा नटवर ठक्कर पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं।

जमनालाल बजाज पुरस्कार : 75 से अधिक सर्वोदय कार्यकर्ताओं को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सर्व सेवा संघ द्वारा स्थापित संस्थाएं : नई तालिम समिति (सर्व सेवा संघ), मगन संग्रहालय समिति, सोसायटी फॉर डेवलपिंग ग्रामदान्स, गांधीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टडीज (गांधी विद्या संस्थान)।

सर्वोदय आन्दोलन की महत्वपूर्ण तिथियां

15 मार्च 1948 : सर्व सेवा संघ की स्थापना।

10 मार्च 1949 : राऊ (मध्य प्रदेश) में संघ की बैठक में प्रथम विधान बना।

12 अप्रैल 1949 : प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय प्लान को सर्व सेवा संघ की मान्यता।

11 अक्तूबर 1950 : निर्वासितों की सेवा के लिए समिति बनी।

18 अप्रैल 1951 : पोचमपल्ली (तेलांगाना) में पहला भूदान प्राप्त।

12 अप्रैल 1952 : सर्व सेवा संघ ने देश में व्यापक पैमाने पर भूदान आन्दोलन चलाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली।

6 मार्च 1953 : संघ के विधान एवं नियमावली में संशोधन।

4 सितम्बर 1953 : सर्व सेवा संघ ने खादी संस्थाओं को प्रमाण-पत्र देने का अपना अधिकार खादी ग्रामोद्योग आयोग को सौंपा।

4 सितम्बर 1953 : सेवाग्राम आश्रम का सर्व सेवा संघ में विलीनीकरण।

18-20 अप्रैल 1954 : बोधगया सर्वोदय सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा द्वारा जीवन-दान की घोषणा।

20-21 सितम्बर 1957 : येलवाल (मैसूर) में सर्वदलीय ग्रामदान परिषद।

27 सितम्बर 1957 : मैसूर के निवेदक शिविर में आचार्य विनोबा द्वारा शांति सेना का सुप्रीम कमांडर बनने की घोषणा।

20 अगस्त 1958 : निर्माण कार्य को छोड़कर, सर्व सेवा संघ की अन्य सभी गतिविधियां जन-आधार से चलाने का निर्णय।

23 सितम्बर 1959 : अखिल भारत शांति सेना मंडल का गठन।

21-17 दिसम्बर 1959 : गांधीग्राम (तमिलनाडु) में वॉर रेसिस्टर्स इण्टरनेशनल का सम्मेलन।

25 दिसम्बर 1959 : बिहार में आचार्य विनोबा द्वारा 'दान दो इकट्ठा, बीघे में कट्ठा' आन्दोलन का प्रारम्भ।

30 जनवरी 1964 : दिल्ली–पीकिंग मैत्री यात्रा का समारंभ।

9 दिसम्बर 1964 : कोहिमा (नागालैंड) में शांति केन्द्र की स्थापना।

सर्व सेवा संघ का कार्यालय : आरंभ में सर्व सेवा संघ का कार्यालय गोपुरी (वर्धा) में था। बाद में खादीग्राम, बोधगया, बंगलुरु, वाराणसी आदि जगहों पर भी रहा। बार-बार कार्यालय बदलने से अनेक तरह की परेशानियां होती थी। अतः निश्चय किया गया कि प्रधान कार्यालय सेवाग्राम में रहेगा।

सर्व सेवा संघ के कुछ महत्वपूर्ण कदम : स्थापना काल के बाद से अब तक सर्व सेवा संघ द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी इस प्रकार हैं –

विस्थापितों की सेवा : भारत विभाजन के बाद बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आये। सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने उनकी सेवा तथा पुर्नवास के महत्वपूर्ण कार्य किये।

भूदान-ग्रामदान : आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर देशभर में 47,63,676 एकड़ भूमि भूदान में मिली तथा 3,932 पंजीकृत ग्रामदान हुए। इसकी मुख्य जिम्मेवारी सर्व सेवा संघ की है।

त्रि-भाषा फॉर्मूला : दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अशांति पैदा हुई, तब विनोबाजी ने उपवास किये और तीन भाषाओं का सिद्धांत निकाला।

प्राकृतिक आपदाओं में राहत एवं पुनर्वास : 1967 में बिहार में आये भयंकर सूखे तथा समय-समय पर विभिन्न राज्यों में आये बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं में सर्व सेवा संघ ने हर संभव सघन सहायता अभियान चलाया।

चम्बल के बागियों का आत्मसमर्पण : चम्बल के 20 बागियों द्वारा 1960 में और 521 बागियों द्वारा 1972 में समर्पण।

पर्यावरण रक्षा : उत्तराखंड में पेड़ों की रक्षा हेतु विश्व प्रसिद्ध 'चिपको आन्दोलन'। केरल, कर्नाटक, ओड़िशा, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में पर्यावरण रक्षा आन्दोलन।

शराबबंदी,गोवधबंदी : देश के विभिन्न राज्यों में शराबबंदी आन्दोलन। मुंबई के देवनार सहित देश के विभिन्न भागों में गोरक्षा सत्याग्रह।

उत्पीड़न से मुक्ति : महाराष्ट्र के धुलिया और ठाणे में आदिवासियों की हज़ारों एकड़ भूमि को भूमि महाजनों और वन विभाग से मुक्त कराया गया। इसी प्रकार गोविंदपुर (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश), मुंगेर, चंपारण आदि जगहों पर बेदखली के विरुद्ध आन्दोलन।

लोकतंत्र रक्षा : 1975 में आपातकाल लगाये जाने के कारण लोकतंत्र के सामने खतरा उपस्थित हो गया था। इसके विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दोलन।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ आन्दोलन : गुजरात के कच्छ जिले में अमरीकी कंपनी कारगिल द्वारा बंदरगाह स्थापित करने तथा नमक बनाने की योजना के विरुद्ध साबरमती आश्रम से कंडला तक की पदयात्रा। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में कोका कोला, पेप्सी तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध आन्दोलन। ❑

प्रकाशकीय घोषणा-पत्र

(फार्म-4, नियम-8 के अनुसार)

प्रकाशन स्थल	: सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी
प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: श्री आनन्द जैन
नागरिकता	: भारतीय
पता	: भेलूपुर, वाराणसी
प्रकाशक का नाम	: अरविन्द अंजुम
नागरिकता	: भारतीय
पता	: सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी
संपादक का नाम	: बिमल कुमार
नागरिकता	: भारतीय
मालिक का नाम	: सर्व सेवा संघ
पता	: सर्व सेवा संघ राजघाट, वाराणसी

मैं अरविन्द अंजुम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।**–अरविन्द अंजुम**

प्रकाशक के हस्ताक्षर

सर्व सेवा संघ के अधिवेशनों की सूची

सन् 1960 से सर्व सेवा संघ के अधिवेशन शुरू हुए। अब तक देश के विभिन्न राज्यों में कुल 87 अधिवेशन हो चुके हैं। 88वां अधिवेशन 30-31 मार्च 2020 को केरल के कोट्टयम में हो रहा है। अब तक हुए कुल अधिवेशनों की सूची इस प्रकार है।

क्र.	स्थान	तिथि एवं वर्ष
1	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	20 से 27 मार्च 1960
2	विश्वनीड़म, कर्नाटक,	29 अक्टू. से 3 नवंबर 1960
3	सर्वोदयपुरम, आन्ध्र प्रदेश	13 से 18 अप्रैल 1961
4	पटना, बिहार	9-10-11 अप्रैल 1962
5	वेड़छी (सूरत), गुजरात	19 से 22 नवंबर 1962
6	आरामबाग, प.बंगाल	29 अप्रैल से 2 मई 1963
7	रायपुर, मध्य प्रदेश	23 से 27 दिसम्बर 1963
8	वाईगाई-मदुरई, तमिलनाडु	17-18-19 नवंबर 1964
9	गोपुरी-वर्धा, महाराष्ट्र	7 से 9 मई 1965
10	हनुमानगंज-बलिया, उत्तर प्रदेश	12 से 15 मई 1966
11	शिवरामपल्ली, आंध्र प्रदेश	25 से 27 अप्रैल 1967
12	आबू रोड, राजस्थान	6-7 जून 1968
13	तिरुपति, आंध्र प्रदेश	23 से 25 अप्रैल 1969
14	राजगीर, बिहार	23-24 अक्टूबर 1969
15	नासिक, महाराष्ट्र	5 से 8 मई 1971
16	भोपाल, मध्य प्रदेश	28 से 31 अक्टूबर 1971
17	नकोदर, पंजाब	16 से 18 मई 1972
18	केलप्पनगर-एर्नाकुलम, केरल	29 से 31 दिसम्बर 1972
19	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	21-23 सितम्बर 1973
20	बम्बई, महाराष्ट्र	6-8 मई 1977
21	पटना, बिहार	15-17 मार्च 1978
22	इन्दौर, मध्य प्रदेश	17-18-19 जून 1978
23	फिरोजपुर, पंजाब	17-18-19 जूलाई 1979
24	नागपुर, महाराष्ट्र	24-25-26 सितंबर 1979
25	खड़गपुर, प.बंगाल	1-2-3 जून 1980
26	श्री मंगेशी, गोवा	1-2-3 मार्च 1981
27	शिमोगा, कर्नाटक	27-28-29 मई 1981
28	जगन्नाथपुरी, उड़ीसा	28-29-30 नवंबर 1981
29	उज्जैन, मध्य प्रदेश	13-14-15 मई 1982
30	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	1-2-3 दिसंबर 1982
31	जैसलमेर, राजस्थान	29-30-31 जुलाई 1983
32	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	15-16 नवंबर 1983
33	चित्रकूट, मध्य प्रदेश	8-9-10 जून 1983
34	गोबिचेट्टीपालयम्, तमिलनाडु	19-20 जनवरी 1984
35	बलिया, उत्तर प्रदेश	10-11-12 अप्रैल 1985
36	आलंदी-पुणे, महाराष्ट्र	26-27-28 नवंबर 1985
37	मन्नारगुड़ी-तंजावुर, तमिलनाडु	11 जून 1986
38	कुरुक्षेत्र, हरियाणा	27-28 फर. एवं 1 मार्च 1987
39	बोरीवली-मुंबई, महाराष्ट्र	24-27 दिसंबर 1987
40	बीकानेर, राजस्थान	25-26-27 अगस्त 1988
41	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	16-17 अप्रैल 1989
42	श्रीअमीरगढ, गुजरात	30 दिसं. से 1 जन. 1989-90
43	मेलकोटे, कर्नाटक	24-25 अप्रैल 1990
44	मद्रास, तमिलनाडु	25-26 दिसंबर 1990
45	ग्वालियर, मध्य प्रदेश	28-29-30 जून 1991
46	रानीपतरा, बिहार	15-16 अप्रैल 1992
47	जलगांव, महाराष्ट्र	13-14-15 जनवरी 1993
48	जौरा-मुरैना, मध्य प्रदेश	14-15 अप्रैल 1993
49	सावरकुंडला, गुजरात	9-10 नवंबर 1994
50	ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश	25-26-27 जून 1995
51	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	18-19-20 नवंबर 1995
52	जैसलमेर, राजस्थान	14-15 अप्रैल 1996
53	नागपुर, महाराष्ट्र	6-7 जनवरी 1997
54	साकेगांव (जलगांव), महाराष्ट्र	13-14 मई 1997
55	तिरुपुर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	13-14 दिसम्बर 1997
56	रायपुर, छत्तीसगढ़	1-2 मई 1998
57	कानपुर, उत्तर प्रदेश	9-10 नवम्बर 1998
58	भागलपुर, बिहार	13-14 जून 1999
59	कस्तूरबाग्राम, मध्य प्रदेश	29-30 नवम्बर 1999
60	कुरुक्षेत्र, हरियाणा	5-6-7 जुलाई 2000
61	अकबरपुर, उत्तर प्रदेश	29-30 मई 2001
62	गुवाहाटी, असम	3-4-5 दिसम्बर 2001
63	पटना, बिहार	7-8 अक्टूबर 2002
64	डोलकनरा, उत्तरांचल	4-5-7 जून 2003
65	कटक, उड़ीसा	19-20 दिसम्बर 2003
66	कालिकट, केरल	24-25 अगस्त 2004
67	दासपुर, प.बंगाल	20-21-22 जनवरी 2005
68	अहमदनगर, महाराष्ट्र	23-24 मई 2005
69	भोपाल, मध्य प्रदेश	3-4 दिसम्बर 2005
70	अहमदाबाद, गुजरात	3-4 जून 2006
71	कलरां शरीफ, राजस्थान	7-8 अप्रैल 2007
72	चेन्नई, तमिलनाडु	8-9 दिसम्बर 2007
73	कुरुक्षेत्र, हरियाणा	22-23 जून 2008
74	लोणी कालभोर, पुणे, महाराष्ट्र	4-5 नवम्बर 2008
75	बरतारा, उत्तर प्रदेश	17-18 जून 2009
76	गुवाहाटी, असम	19-20 फरवरी 2010
77	आदि चुनचनगिरी, कर्नाटक	29-30 सितम्बर 2010
78	रंगामटिया-मयूरभंज, ओडिशा	18-19 फरवरी 2011
79	मदुरई, तमिलनाडु	27-28 दिसम्बर 2011
80	कोटा, राजस्थान	12-13 अगस्त 2012
81	पटना, बिहार	18-19 मार्च 2013
82	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	1-2 मार्च 2014
83	खीमेल, राजस्थान	26-27 दिसम्बर 2014
84	दिल्ली, दिल्ली	30-31 अक्टूबर 2015
85	मोतीहारी, बिहार	25 मार्च 2017
86	सेवाग्राम, महाराष्ट्र	21-22 फरवरी 2018
87	रायपुर, छत्तीसगढ़	12-13 मार्च 2019

सर्व सेवा संघ का 88वां अधिवेशन

❑ **महादेव विद्रोही**

सर्व सेवा संघ का 88वां अधिवेशन 30-31 मार्च को केरल के कोट्टयम में होगा। यह जगह काफी मनोरम तथा शांत है। अधिवेशन की तैयारी की दृष्टि से 1-2 फरवरी को मैं कोट्टयम पहुंचा। केरल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष प्रो. जोस मैथ्यू अधिवेशन की तैयारियों में लगे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. अपूर्वानंद अधिवेशन के मुख्य अतिथि होंगे। प्रो. शेखर सोनालकर तथा प्रो. मोहम्मद आरिफ विशिष्ट अतिथि होंगे। अधिवेशन का मुख्य विषय है - 'नागरिकता का संकट : नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी तथा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी'।

कैसे पहुंचें : कोट्टयम रेलवे स्टेशन से अधिवेशन स्थल करीब ढाई किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से निकल कर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ें, नागपदम बस स्टैंड पार कर पहले निकास से मेन सेन्ट्रल रोड पर आयें, आदित्य कर्मिशियल आर्केड (आपके रास्ते में दाहिनी ओर) पार कर, सी. एम. एस कॉलेज रोड पर मुड़ें। यहां से 600 मीटर की दूरी पर अधिवेशन स्थल है। इस रोड को कुमारकोम रोड के नाम से भी जाना जाता है।

कोट्टयम, केरल का एक महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है। इसके आसपास कई पर्यटक स्थल हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं – कुंबकोनम पक्षी विहार-12 किमी, अरुविकुझी जलप्रपात-20 किमी, कोट्टातावलम (मुरुगन पहाड़ी पर)-40 किमी, नडुकनी-44 किमी, पतीरामानल द्वीप-15 किमी, मरमाला जलप्रपात-38 किमी, वाइकोम (यहीं महात्मा गांधी ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था)-22 किमी, सबरीमाला-64 किमी, गुरुवायुर-122 किमी, त्रिवेन्द्रम-147 किमी, कन्याकुमारी-245 किमी, कालडी-81 किमी की दूरी पर है।

चुनाव अधिकारी : सर्व सेवा संघ की कार्यसमिति ने अध्यक्ष के चुनाव हेतु भवानी शंकर कुसुम को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। श्री कुसुम ने अध्यक्षीय चुनाव की विस्तृत जानकारी सभी जिला सर्वोदय मंडलों, प्रदेश सर्वोदय मंडलों तथा कार्यसमिति के सदस्यों को भेज दी है। लोकसेवकों, जिला सर्वोदय मंडलों के अध्यक्षों, जिला सर्वोदय मंडलों के प्रतिनिधियों तथा सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की संशोधित सूची भी सर्व सेवा संघ की वेबसाइट www.sarvasevasangh.org पर प्रकाशित कर दी गयी है।

कोरोना वायरस : विभिन्न राज्यों से कोरोना वायरस के बारे में अनेक लोगों के फोन आते रहते हैं। केरल में कहीं कोई कोरोना वायरस नहीं है। 3-4 लोग जो चीन से आये थे। उनमें संक्रमण की आशंका थी, इसलिए उन्हें निगरानी में रखा गया था। उन सबों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है और वे अब ठीक हैं। इस विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

संपर्क : प्रो. जोस मैथ्यू (अध्यक्ष, केरल सर्वोदय मंडल) 9446923010, श्री वी. एम. के. रामन (अध्यक्ष, कोट्टयम जिला सर्वोदय मंडल) 8547405120। ❑

सर्व सेवा संघ-अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम

चुनाव अधिकारी का पत्र

आदरणीय बहन/भाई,

जय जगत!

दिनांक 30-31 मार्च 2020 (सोमवार-मंगलवार) को **कोट्टयम (केरल)** में होने वाले सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जानकारी आपको मिल गयी होगी एवं तदनुसार आपने कोट्टयम आने का कार्यक्रम बनाया ही होगा। लोकसेवकों तथा सदस्यों की अधिकतम भागीदारी और अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है—

- **अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिये नामाकंन पत्र की प्राप्ति**
  - प्रधान कार्यालय, सेवाग्राम से : 3 से 5 मार्च 2020 : 11.00 से 16.00 बजे तक
  - अधिवेशन स्थल पर स्थित कार्यालय से : 29 मार्च 2020 : 09.00 से 10.00 बजे तक
    30 मार्च 2020 : 08.30 से 12.00 बजे तक
- **नामांकन पत्र प्रस्तुत करना** : 30 मार्च 2020 : 17.00 से 18.00 बजे तक
- **नामांकन पत्रों की जांच** : 30 मार्च 2020 : 18.00 से 19.00 बजे तक
- **उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन** : 30 मार्च 2020 : 19.15 बजे
  (अधिवेशन स्थल स्थित कार्यालय के बाहर)
- **नाम वापसी** : 31 मार्च 2020 : 10.00 से 12.00 बजे तक
- **उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन** : 31 मार्च 2020 : 12.30 बजे
- **एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में निर्वाचन** : 31 मार्च 2020 : 14.30 से
- **मतदाताओं को मत-पत्र जारी करना** : 31 मार्च 2020 : 14.30 से 15.00 बजे तक
- **मतगणना** : 31 मार्च 2020 : 16.00 से 17.00 बजे तक
- **चुनाव परिणाम की घोषणा** : 17.00 बजे

नोट : मतदाता मत-पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया परिचय पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि में से कोई एक) साथ में अवश्य लायें।

संशोधित सूची : सर्व सेवा संघ की कार्यसमिति के निर्णयानुसार लोकसेवकों तथा मतदाताओं की संशोधित एवं अंतिम सूची का प्रकाशन सर्व सेवा संघ की वेबसाइट http://www.sarvasevasangh.org पर किया जा चुका है।

इस विषय में कुछ जानकारी करनी हो अथवा मतदाता सूची से संबंधित कुछ सुझाव देने हों, तो कृपया मेरी ईमेल आईडी bskusum@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपका संशय निवारण करने में मदद कर प्रसन्नता होगी। सविनय! **–भवानी शंकर कुसुम,** *चुनाव अधिकारी*

अध्यक्ष की कलम से

दिल्ली के दंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात और अंधेरापसंद लोग : 26 फरवरी 2020 की रात दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एस. मुरलीधरन ने दिल्ली के दंगों पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना की। न्यायमूर्ति मुरलीधरन और न्यायमूर्ति बलवंत सिंह की खंडपीठ ने अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा आदि पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त को कहा कि वे जाकर अपने कमिश्नर को बता दें कि अदालत बहुत नाराज है। आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट 27 फरवरी को अदालत के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा। आश्चर्यजनक है कि केन्द्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने दंगाइयों का बचाव करते हुए कहा - 'यह कार्रवाई करने का उचित समय नहीं है।'

इस आदेश के एक घंटे बाद श्री मुरलीधरन का स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने न्यायमूर्ति एस. मुरलीधरन के स्थानांतरण के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हुए इसका विरोध किया है। अधिवक्ता संघ ने कहा है कि एस. मुरलीधरन दिल्ली उच्च न्यायालय के तीसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनका स्थानांतरण तभी किया जा सकता है, जब उन्हें किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया जाने वाला हो।

पूरी दिल्ली को दंगाइयों एवं भेड़ियों के हवाले कर दिया गया है। अभी तक 42 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों जख्मी लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रभावित क्षेत्रों के अस्पताल, जिनकी क्षमता बहुत ही कम है, नये घायलों का इलाज करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं। ये वही कपिल मिश्रा-अनुराग ठाकुर एंड कंपनी है, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अनेक भड़काऊ भाषण दिये थे।

ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के लिए लोकतंत्र की हत्या करना एक शगल हो गया है। इसी केन्द्र सरकार ने 22 नवंबर 2019 की आधी रात को अंधेरे में महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया था तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंधेरे में ही देवेन्द्र फणवनीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवायी थी। यह अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ घंटों में ही फणनवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर जमीन पर बिठा दिया।

हम 'अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की' प्रार्थना करते हैं। पर ये लोग 'प्रकाश खत्म हो और अंधेरा ही अंधेरा छा जाय', इसकी कामना करते रहते हैं। दिल्ली में एक तरफ नृशंसता अपनी सारी हदों को पार कर रही है, वहीं दूसरी ओर मानवता के नये फूल खिल रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के गुरुद्वारे ने पीड़ित लोगों के लिए अपना गुरुद्वारा खोल दिया है। कई हिन्दू परिवारों ने प्रभावितों को अपने घर में सम्मानपूर्वक आश्रय दिया है।

ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस अपने किसी आका के इशारे पर यह सब कर रही है। हमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना की याद आती है। छात्र संघ की अध्यक्ष आइसी घोष का दंगाइयों ने सिर फोड़ दिया। लेकिन आज तक इन दंगाइयों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे आइसी घोष पर ही मुकदमा दायर कर दिया गया।

हम सभी पक्षों से शांति स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाने की अपील करते हैं। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि इससे और नयी समस्याएं पैदा ही होती हैं।

हिंसा कहीं नहीं - कभी नहीं।

यह लिखते-लिखते समाचार मिला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस केस को न्यायमूर्ति एस. मुरलीधरन एवं न्यायमूर्ति बलवंत सिंह की खंडपीठ से स्थानांतरित कर मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में भेज दिया गया है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। साथ ही एफआईआर नहीं करने की छूट दे दी है। यानी दंगाई अब अपनी बची-खुची मंशा भी पूरी कर लेंगे। क्योंकि उन्हें अब गिरफ्तारी का डर नहीं है। वे जितना चाहें, दंगा कर सकते हैं और लोगों की जान ले सकते हैं।

सर्व सेवा संघ दिल्ली पुलिस की इस भूमिका का विरोध करता है और उनसे कानून के अनुसार कार्य करने की अपील करता है। हम इस दंगे में मारे गये नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

कोच्चि हवाई अड्डा और पुतेन मलिंगा पैलेस म्यूजियम : 1-2 फरवरी को कोट्टयम जाते समय कोच्चि हवाई अड्डे से जाना हुआ। इस हवाई अड्डे की डिजाइन केरल की वास्तुकला के अनुसार रखी गयी है। इसे देखकर ही आभास हो जाता है कि हम केरल में पहुंच गये हैं। केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में पुतेन मलिंगा पैलेस म्यूजियम है। इसकी गणना देश के ऐतिहासिक संग्रहालयों में होती है। इस संग्रहालय के भवन को बिना किसी छेड़छाड़ के जस-का-तस रखा गया है। केरल के लोगों को अपने इस ऐतिहासिक संग्रहालय पर नाज़ है। इन्हें देखने के बाद हमें गांधी के आश्रमों की चिंता सताने लगती है। तथाकथित वर्ल्ड क्लास के नाम पर आश्रम परिसरों में अट्टालिकायें बनायी जा रही है, जो बापू की कल्पना के बिलकुल विपरीत है। पता नहीं बापू की नज़र जब इन अट्टालिकाओं पर पड़ेगी, तब वे क्या सोचेंगे!

सर्व सेवा संघ प्रकाशन की बैठक : देश के 72 रेलवे स्टेशनों पर सर्वोदय बुक स्टाल हैं। प्रतिवर्ष इनकी बैठक आयोजित की जाती है। इस वर्ष 24 फरवरी 2020 को वाराणसी में बैठक हुई। इसमें सर्वाधिक बिक्री करने वाले तीन स्टाल व्यवस्थापकों - 1. वाराणसी बुक स्टाल (रमेश कुमार मिश्र), 2. भोपाल बुक स्टाल (वीरेन्द्र पाण्डे) तथा 3. इलाहाबाद बुक स्टाल (रामबहोरी पाल) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से तथा इसके अतिरिक्त सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए कानपुर बुक स्टाल (आलोक अवस्थी) को सम्मानित किया गया। इस बैठक में रेल मंत्रालय, मंडल रेल कार्यालय, जीएसटी आदि से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने अरविन्द अंजुम के संयोजकत्व में कई महत्त्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। इस वर्ष 6 हजार डायरी छापी गयी। इसके समाप्त हो जाने पर पुनः 2 हजार डायरी छापी गयी। यह स्टॉक भी समाप्त हो गया, तो

... शेष पृष्ठ 16 पर

सर्व सेवा संघ तथा संस्थाओं का विलीनीकरण

❑ धीरेन्द्र मजूमदार

1948 में सर्व सेवा संघ बना। उसका स्वरूप गांधीजी द्वारा प्रदर्शित सभी अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के संघ का था। यद्यपि सर्व सेवा संघ बना, लेकिन वह प्रभावकारी संघ नहीं बना, केवल एक समिति के रूप में ही रह गया। विभिन्न संस्थाएं अपनी-अपनी दिशा में काम करती रहीं। उनकी दिशा भिन्न रही और सर्व सेवा संघ के जरिये पारस्परिक संपर्क भी नहीं रहा। फलस्वरूप जिस उद्देश्य से सर्व सेवा संघ की कल्पना की गयी थी, वह सफल नहीं हो सका।

विनोबाजी इस स्थिति को देख रहे थे। सर्व सेवा संघ की हालत से वे चिन्तित रहते थे। आखिर उन्होंने यह सुझाव दिया कि जुड़ी हुई संस्थाएं अलग न रहकर सर्व सेवा संघ में विलीन हो जायं और सब मिलकर एक संस्था बन जांय, ताकि सब एकरस होकर समग्रता का दर्शन तथा प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहले विनोबाजी का सुझाव गो-सेवा संघ ने मान लिया और वह अपने प्रस्ताव द्वारा संघ में मिल गया। फिर कुमारप्पाजी ग्रामोद्योग-संघ को सर्व सेवा संघ में विलीन करने का प्रस्ताव लाये।

निष्क्रिय विलीनीकरण : गो-सेवा संघ के विलीन हुए कुछ महीने बीत गये थे, लेकिन उसका काम करने का ढंग ऐसा नहीं था कि ऐसा लगे कि वह सर्व सेवा संघ से एकाकार हो गया है। सर्व सेवा संघ और गो-सेवा संघ दोनों अलग-अलग ही दीखते थे, प्रस्ताव में भले ही दोनों एक हो गये थे। मुझे यह चीज कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे डर था कि यदि यही ढंग जारी रहा, तो ग्रामोद्योग संघ भी विलीन होकर उसी तरह से अपना अस्तित्व बनाये रखेगा। जिस तरह से जुड़ाव समिति के रूप में सर्व सेवा संघ का उद्देश्य विफल हो रहा था, उसी तरह इस प्रकार के विलीनीकरण से कुछ निष्पत्ति नहीं निकलेगी। अतः ग्रामोद्योग संघ की बैठक में मैंने विलीनीकरण के खिलाफ राय दी। मेरी इस राय से साथियों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि 1945 में जब से गांधीजी ने नव-संस्करण की बात उठायी और चरखा-संघ द्वारा समग्र सेवा की चर्चा हो रही थी, उसी समय से मैं यह राय प्रकट करता रहा था कि सब संस्थाओं को एक में मिलाकर समग्र सेवा संघ बने। गो सेवा संघ के ढंग को देखकर पहले मैंने समझा कि विलीनीकरण की प्रक्रिया अस्वाभाविक होगी, लेकिन श्रद्धेय कुमारप्पाजी तथा अन्य साथियों के आग्रह से ग्रामोद्योग संघ सर्व सेवा संघ में विलीन हो गया।

नाम बदला, संस्था नहीं : विलीनीकरण के बाद ग्रामोद्योग संघ की भी वही स्थिति रही, जो गो सेवा संघ की थी। वह भी पूर्ववत् अलग से और अपने ढंग से चलता रहा। कागज पर गो-सेवा विभाग और ग्रामोद्योग विभाग लिखा जाता था, लेकिन ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता गो सेवा संघ और ग्रामोद्योग संघ ही कहा करते थे। सर्व सेवा संघ पूर्ववत् समिति जैसा ही बना रहा। विलीनीकरण के बाद कुमारप्पाजी वर्धा के निकट सेल्डो नामक गांव में संतुलित कृषि के प्रयोग करने चले गये और जी. रामचन्द्रन ने वर्धा में ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मगनवाड़ी का काम संभाला। उन दिनों एक बार मैंने रामचन्द्रनजी से पूछा कि उनकी राय में विलीनीकरण से क्या फर्क पड़ा, तो उन्होंने मुस्कराकर कहा : "We have changed the letter-head only." (हमलोगों ने केवल पत्र-व्यवहार में संस्था का नाम बदला है!)

सर्वोदय का द्वितीय सम्मेलन उड़ीसा के अंगुल में होने का निश्चय हुआ। विनोबाजी के नेतृत्व में गो-सेवा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ के सर्व सेवा संघ में विलीन होने की चर्चा फैली हुई थी। चरखा-संघ के मित्रों के सामने भी यह सवाल उपस्थित हुआ। जाजूजी, कृष्णदास भाई तथा अन्य मित्रों के मन में आया कि चरखा संघ का भी विलीनीकरण होना चाहिए। वे सोचने लगे कि अंगुल सम्मेलन में चरखा-संघ के विलीनीकरण की घोषणा हो।

मेरा विरोध : मैं उन दिनों बीमार होकर उरुली कांचन में इलाज करा रहा था, इसलिए मित्रों की चर्चा में शामिल नहीं रह सका था। इसलिए मुझसे चर्चा करने के लिए कृष्णदास भाई, लेलेजी, दादा भाई नाईन तथा खादी विद्यालय के आचार्य ल. रा. पण्डितजी उरुली कांचन पहुंचे और उन्होंने विलीनीकरण का प्रस्ताव रखा। मैंने उनसे कहा कि अभी चरखा संघ विलीन हो जायेगा, साइन बोर्ड बदल जायेगा; लेकिन हम सब अलग ही अलग सोचते और काम करते रहेंगे। सामूहिक चिन्तन, सामूहिक कार्यक्रम तथा सबको संभालने योग्य नेतृत्व के बिना विलीनीकरण से अलग-अलग जो काम हो रहा है, वह भी नहीं हो सकेगा। विनोबा के सिवा दूसरा कोई सम्मिलित कार्यक्रम का नेतृत्व नहीं ले सकता है। देश में सामूहिक कार्यक्रम की कोई गुंजाइश नहीं दिखायी पड़ती है। गांधीजी के नव-संस्करण में बताये हुए कार्यक्रम भी नहीं चल सके। इन तमाम कारणों से मैं चरखा-संघ के विलीनीकरण की सम्मति नहीं दे सका। मित्रों ने काफी देर तक चर्चा की, लेकिन मुझे विलीनीकरण के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिल रही थी।

ये लोग चर्चा करके चले गये। चलने से पहले कृष्णदास भाई ने कहा—''आप इस बार के सम्मेलन में उपस्थित नहीं रह सकेंगे, लेकिन सम्मेलन के अवसर पर जो खादी सम्मेलन होगा, उसके लिए अपना वक्तव्य लिख दीजिये।'' वक्तव्य लेने के लिए वे एक दिन रुक गये और मैंने अंगुल सम्मेलन के लिए अपना वक्तव्य भेज दिया। चरखा-संघ ने उस वक्तव्य को 'चरखा आंदोलन की दृष्टि और योजना' के नाम से प्रकाशित भी किया था।

उरुली कांचन में कुछ स्वास्थ्य लाभ कर मैं वर्धा पहुंचा। जब मैं मगनवाड़ी के मित्रों से मिलने गया, तो मिलते ही भाई रामचन्द्रनजी ने मुझसे कहा : "You alone will be held responsible for the failure of Sarva Seva Sangh." (सर्व सेवा संघ की

असफलता के लिए केवल आप ही जिम्मेदार ठहराये जायेंगे।) मैंने उन्हें समझाया कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। उन्होंने कहा— ''कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है, तो क्या काम नहीं चलेगा? आप ही नेतृत्व लीजिए और सब मिलकर सोचें।'' सामूहिक कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा—''सामूहिक कार्यक्रम रहता नहीं है, बनाया जाता है।'' मैंने उनसे कहा— ''उसे बनाया नहीं जाता, उसके लिए सबके मन में स्वाभाविक प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा परिस्थिति तथा नेतृत्व से मिलती है। वह गोष्ठी करके पैदा नहीं की जाती।'' इस प्रकार उनसे काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन मैं उनके असंतोष का निराकरण नहीं कर सका।

श्रद्धेय कुमारप्पाजी को विलीनीकरण के विचार पर आस्था थी, उसके लिए वे व्याकुल थे। विलीनीकरण की प्रक्रिया में चरखा-संघ के शामिल न होने से उनको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कई बार अपना दुःख प्रकट किया, लेकिन उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं उसे मान नहीं सका। बाद में वे तालीमी संघ में विलीनीकरण का प्रस्ताव लाये, लेकिन वह किसी को मान्य न होने से तालीमी संघ भी विलीन नहीं हुआ। इस तरह सर्व सेवा संघ तथा जुड़ी हुई संस्थाओं का काम पूर्ववत् चलता रहा तथा साथ-साथ विलीनीकरण की भी चर्चा चलती रही। ऐसी ही परिस्थिति में विनोबाजी ने तेलंगाना में भूदान आंदोलन का बिगुल बजा दिया।

विनोबा का भूदान आंदोलन : विनोबाजी की पदयात्रा से देश में एक नयी जागृति हुई तथा एक नये आंदोलन का जन्म हुआ। पर यह आंदोलन विनोबा का अपना था और उन लोगों का था, जिन्हें उनसे प्रेरणा मिलती थी। यह अवश्य है कि संस्थाएं मदद करती थीं। उत्तर प्रदेश की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय वहां के गांधी आश्रम को था। लेकिन आंदोलन किसी संस्था का नहीं था। किसी संस्था ने उसे चलाने की जिम्मेवारी भी नहीं ली थी, फिर भी वह दिन-दिन व्यापक बनता गया।

सर्व सेवा संघ ने जिम्मेदारी ली : ऐसी परिस्थिति में सेवापुरी में सर्वोदय समाज सम्मेलन हुआ। लगभग दस हजार व्यक्ति उसमें शामिल हुए। देश के बड़े-बड़े नेताओं तथा राज्याधिकारियों ने साधारण जन-समुदाय के बीच बैठकर चर्चा की। इन सब कारणों से भूदान आंदोलन ने सारे देश की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली। सरकार तथा जनता, दोनों पर इस सम्मेलन का गहरा असर पड़ा। लोग यह महसूस करने लगे कि यह एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।

संस्थाएं इस आंदोलन की ओर तेजी से खिंच रही थीं। सर्व सेवा संघ भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सका, बल्कि वह तो सबसे ज्यादा इस ओर झुका। गांधीजी के विचारों के अनुसार संगठित सर्वोदय समाज की संस्था के रूप में इसका संगठन हुआ था। इसलिए आंदोलन की जिम्मेदारी सहज ही इसके ऊपर आ गयी और सर्व सेवा संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा इस जिम्मेदारी को संभाल लिया।

उन दिनों शंकरराव देव संघ के मंत्री थे। उन्होंने साल भर अथक परिश्रम कर, देश भर दौरा करके हर प्रदेश में भूदान का काम चलाने के लिए ऐसी समिति बनायी, जिसमें विभिन्न पक्षों के लोग सदस्यता के नाते एक साथ मिलकर चर्चा तथा चिन्तन करते थे। पक्षगत प्रतिद्वन्द्विता के बीच यह एक बहुत बड़ी बात थी। जनता महसूस करने लगी कि यह आंदोलन रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह है।

25 लाख एकड़ भूदान का निश्चय : सेवापुरी सम्मेलन के अवसर पर जब अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ ने आंदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो पहले प्रस्ताव से ही उसने एक बहुत बड़ा संकल्प कर डाला कि अगले दो साल में 25 लाख एकड़ जमीन भूदान में लेनी है। इस प्रस्ताव ने सारे देश की दिलचस्पी आंदोलन में बढ़ा दी। यह जानकर कि सर्व सेवा संघ ने 25 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का संकल्प किया है, लोग आश्चर्यचकित हो गये, क्योंकि उन दिनों 25 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने की बात करने वाला गगनविहारी ही माना जाता था। इस आकर्षण के कारण सर्व सेवा संघ को हर प्रांत में हर पक्ष का सहयोग मिला।

केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार : सेवापुरी सम्मेलन ने सर्वोदय विचार क्रांति में एक अन्य निश्चित कदम उठाया। अपने प्रस्ताव में उसने कहा कि चूंकि सच्चा लोकतंत्र विकेन्द्रित अर्थनीति तथा राजनीति से ही संभव है, इसलिए संघ ने अपने सदस्यों और जनता का आह्वान किया कि वे कम से कम अन्न-वस्त्र की सामग्री के लिए केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार करें। पिछले तीन सालों से जिस बात के लिए मैं निरंतर प्रचार करता रहा, उसे सर्व सेवा संघ के प्रस्ताव में स्वीकृत कर लिया गया, यह देखकर मुझे कितना आनंद हुआ, इसका अंदाजा आपको आसानी से हो सकेगा।

सेवापुरी सम्मेलन के फलस्वरूप देश में वैचारिक आंदोलन का जो नेतृत्व निर्माण हुआ, उससे मुझे अत्यन्त संतोष हुआ। जिन अभावों के कारण मैंने मित्रों के आग्रह के खिलाफ चरखा-संघ को सर्व सेवा संघ में विलीन नहीं होने दिया, उन अभावों का निराकरण हो गया। बापू के विचार के अनुसार, जो रचनात्मक कार्यक्रम चलता था, उसका नेतृत्व विनोबा ने आंदोलन के जरिये अपने हाथ में ले लिया। देश का आकर्षण उस नेतृत्व पर केन्द्रित हुआ। एक संस्था की हैसियत से सर्व सेवा संघ ने भी विनोबा के मार्गदर्शन में अपने कंधों पर नेतृत्व उठा लिया। अतः सहज ही मेरे मन में आया कि अब समय आ गया है, जब चरखा संघ को सर्व सेवा संघ में विलीन होना चाहिए। एक नेता तथा एक संस्था के नीचे बापू के सारे रचनात्मक कामों का संचालन हो, ताकि इसमें से कुछ वास्तविक शक्ति का निर्माण हो सके।

कमर का तीव्र दर्द लेकर मैं खादीग्राम वापस आकर खाट पर लेट गया। मित्रों ने मान लिया कि अब मैंने बाकी जिन्दगी भर के लिए खाट पकड़ ली, क्योंकि देश के तमाम डॉक्टर मित्रों ने सभी आधुनिक औजारों से परीक्षा कर और सारे ज्ञान-विज्ञान का इस्तेमाल कर यह फैसला दे दिया था कि रीढ़ की हड्डी बढ़ने के कारण यह रोग इलाज के बाहर हो गया है। यह कभी ठीक नहीं होगा। दो, सवा दो साल खाट पर पड़े रहकर किस तरह मैं स्वस्थ हुआ, यह बात सबको मालूम है। ....शेष पृष्ठ 12 पर

12 मार्च, दांडी कूच दिवस पर

सविनय प्रतिरोध की पूर्व सूचना

(दांडी कूच से पहले गांधीजी द्वारा लॉर्ड इरविन को लिखे गये पत्र के चुने हुए अंश)

प्रिय मित्र,

इसके पहले कि मैं सविनय अवज्ञा शुरू करूं, और शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं, उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूं कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर देखूं।

अहिंसा में मेरा वैयक्तिक विश्वास तो जाहिर ही है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचा सकता, तो फिर किसी मनुष्य को—भले ही उसने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूं, उनका बड़े-से-बड़ा अहित ही क्यों न किया हो—चोट पहुंचाने की तो बात ही क्या? इसलिए यद्यपि अंग्रेजी सल्तनत को मैं एक अभिशाप मानता हूं, लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अंग्रेज को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुंचे।

गलतफहमी से बचने के लिए मैं अपनी बात को जरा और साफ किये देता हूं। यह सच है कि मैं भारत में अंग्रेजी राज्य को एक अभिशाप मानता हूं, लेकिन इस कारण मैं यह तो कभी नहीं मानता कि सब के सब अंग्रेज दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा दुष्ट हैं। मुझे बहुतेरे अंग्रेजों के साथ गहरी दोस्ती रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है; यही नहीं, बल्कि अंग्रेजी राज्य ने हिन्दुस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके बारे में बहुतेरी हकीकतें तो मुझे उन अनेक अंग्रेजों की लिखी चीजों से ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने उस शासन के बारे में कठोर सत्य निर्भीकतापूर्वक प्रकट किया है।

और मैं अंग्रेजी राज्य को अभिशाप-रूप क्यों मानता हूं?

इस कारण से कि इस राज्य ने क्रमिक शोषण की प्रणाली के द्वारा और अपने तंत्र के तबाह कर डालने वाले फौजी और दीवानी खर्च के द्वारा, जिसे कि यह देश कभी बरदाश्त नहीं कर सकता, इस भूमि के करोड़ों मूक मानवों को दरिद्र बना दिया है।

राजैनतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमें

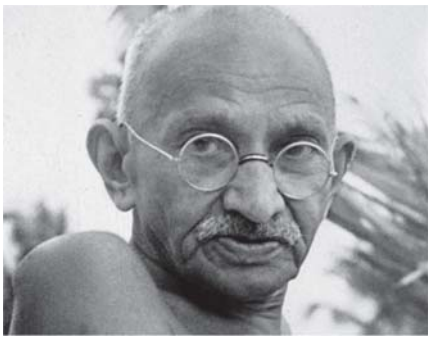

लगभग गुलाम बनाकर रख छोड़ा है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद को हिला दिया है और लोगों से हथियार छीन लेने की सरकारी नीति ने तो हमारी आत्मा को कुचल ही डाला है। अब तो बस यही शेष रह गया है कि हममें से किसी को कोई मामूली से मामूली हथियार भी न रखने देने का कानून बना दिया जाये। आंतरिक शक्ति से रहित हम लोगों पर इस नीति का प्रभाव यह हुआ है कि हम लगभग कायरताजन्य असहायावस्था में पहुंच गये हैं।

अपने दूसरे बहुत से भाइयों के साथ-साथ मैं भी यह आशा लगाये बैठा था कि प्रस्तावित गोलमेज परिषद से ये सब शिकायतें शायद रफा हो जायें। लेकिन जब आपने साफ-साफ कह दिया कि आप कोई ऐसा आश्वासन नहीं देंगे कि आप या ब्रिटिश मंत्रिमंडल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की किसी योजना का समर्थन अनिवार्यतः करेंगे, तब मैंने महसूस किया कि गोलमेज परिषद यह समाधान नहीं दे सकती, जिसके लिए देश के प्रबुद्ध लोग ज्ञानपूर्वक और करोड़ों मूक मानव अनजाने मन से तरस रहे हैं। यहां यह कहने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में पार्लियामेंट का आखिरी फैसला करने का हक छीन लेने का कोई सवाल नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें मंत्रिमंडल ने इस आशा से कि पार्लियामेंट की अनुमति तो मिलेगी ही, पहले से ही अपनी नीति निर्धारित कर ली थी।

जिस मालगुजारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी होती है, उसी के भार से रैयत का दम निकला जा रहा है। स्वतंत्र भारत को इस नीति में बहुत-कुछ हेर-फेर करना होगा। जिस स्थाई बंदोबस्त की तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, उनसे सिर्फ मुट्ठी-भर धनवान जमींदारों को ही फायदा पहुंचाता है, रैयत को नहीं। रैयत तो अब भी पहले की ही तरह असहाय है। वे ऐसे काश्तकार-भर हैं, जिन्हें जमींदार जब चाहे बेदखल कर सकते हैं। इसलिए लगान में तो काफी कमी करनी ही है, साथ ही पूरी राजस्व व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करना है, जिससे उसका मुख्य उद्देश्य रैयत की भलाई करना बन जाये। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति तो रैयत को चूसकर निष्प्राण बना देने की प्रतीत होती है। यहां तक कि उसके जीवन के लिए आवश्यक नमक जैसी चीज पर भी इस तरह कर लगाया जाता है कि उसका सबसे अधिक भार उन्हीं पर पड़ता है—भले ही उसका कारण यही क्यों न हो कि यह कर लगाते हुए निष्ठुरतापूर्ण निष्पक्षता बरती गयी है। नमक ही एक ऐसी चीज है, जिसे गरीब लोग व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में भी धनवानों के मुकाबले अधिक खाते हैं। इस बात का विचार करने से तो यह कर गरीबों के लिए और अधिक भार रूप जान पड़ता है। शराब और दूसरी नशीली चीजों से होने वाली आमदनी का जरिया भी ये गरीब ही हैं। ये चीजें लोगों की तंदुरुस्ती और नैतिकता दोनों की जड़ें खोखली करने वाली हैं। इसका बचाव व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, किया जाता है; लेकिन वास्तव में इससे जो आमदनी होती है, उसी के लिए इसे कायम रखा जा रहा है। सन् 1919 में जो सुधार जारी किये गये, उनके अनुसार इन मदों की आमदनी चतुराई के साथ नामधारी निर्वाचित मंत्रियों के जिम्मे कर दी गयी, जिससे सब तरह की नशीली चीजों का व्यवहार बंद करने से होने वाला नुकसान उन्हीं को सहना पड़े और इस तरह देश-हित का काम करना उनके लिए शुरू में ही नामुमकिन हो जाये। अगर कोई अभागा मंत्री इस आमदनी से हाथ धोना चाहे भी तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस हालत में वह शिक्षा-विभाग का खर्च पूरा नहीं कर सकेगा और मौजूदा हालत में शराब के अलावा आमदनी का कोई

दूसरा जरिया खड़ा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यदि करों का यह भार गरीबों को ऊपर से पीस रहा है तो उधर प्रमुख सहायक उद्योग, अर्थात हाथ-कताई के विनाश ने उनकी उपार्जन की क्षमता को खत्म कर दिया है। हिन्दुस्तान की तबाही का यह दर्द भरा किस्सा अधूरा ही रह जायेगा, यदि उनके नाम जो कर्जा लिया गया है, उसका जिक्र इस सिलसिले में न किया जाये। इन कर्जों के बारे में हाल में अखबारों में काफी चर्चा हो चुकी है। स्वतंत्र भारत का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस तरह के तमाम कर्जों की पूरी-पूरी जांच एक निष्पक्ष अधिकरण द्वारा कराये और इस जांच के फलस्वरूप जो कर्ज अन्यायपूर्ण और अनुचित ठहरे, उसे देने से इनकार करे।

यह जाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चीली है और इसे बनाये रखने की गरज से ही ये सारे अन्याय किये जा रहे हैं। आप अपने वेतन को ही ले लीजिए। यह महावर 21 हजार रुपये से भी ज्यादा है। इसके सिवाय उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढ़े आमदनी के जरिये हैं ही। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को सालाना 5 हजार पौंड, यानी मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से माहवार 5,400/- से कुछ अधिक मिलता है। जिस देश में, हरएक आदमी की औसत रोजाना आमदनी दो आने से भी कम है, उसमें आपको रोजाना 700 रुपये से भी अधिक मिलते हैं। उधर इंग्लैंड के बाशिन्दों की औसत दैनिक आय लगभग दो रुपये है और वहां के प्रधानमंत्री को रोजाना सिर्फ 180 रुपये ही मिलते हैं। इस तरह आप अपनी तनख्वाह के रूप में 5 हजार से भी अधिक भारतीयों की औसत कमाई का हिस्सा ले लेते हैं; उधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ 90 अंग्रेजों की कमाई ही लेते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इस आश्चर्यजनक विषमता पर ध्यानपूर्वक थोड़ा विचार कर देखें। एक कठोर लेकिन सच्ची हकीकत को ठीक से समझाने के लिए मुझे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पड़ा है; नहीं तो निजी तौर पर मेरे दिल में आपके लिए इतनी इज्जत है कि मैं ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। मैं जानता हूं कि आपको जो तनख्वाह मिलती है, उसकी जरूरत आपको नहीं है। मुमकिन है कि आप अपनी सारी की सारी तनख्वाह दान में दे डालते हों। पर जिस प्रणाली ने ऐसी खर्चीली व्यवस्था बना रखी है, उसे तुरंत तिलांजलि देना ही उचित है। जो दलील आपकी तनख्वाह के लिए ठीक है, वही सारे तंत्र पर लागू होती है।

मतलब यह कि जब राज्य प्रबंधन के खर्च में बहुत ज्यादा कमी कर दी जायेगी, तभी राज्य की आमदनी में बहुत-कुछ कमी की जा सकेगी और यह तभी हो सकता है जब कि राज-काज की सारी नीति ही बदल दी जाये। इस तरह का परिवर्तन बिना स्वतंत्रता के नहीं हो सकता। मेरी राय में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर 26 जनवरी को लाखों ग्रामवासी स्वातंत्र्य दिवस मनाने के लिए की गयी सभाओं में बिना किसी के कहे-सुने सहज ही शामिल हुए थे। उनके लिए तो स्वाधीनता का मतलब उक्त कुचल डालने वाले बोझों से छुटकारा पाना है।

हिन्दुस्तान में जो हिंसक दल है, आज चाहे वह जितना असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी दिनों-दिन उसका बल बढ़ता जा रहा है और वह प्रभावशाली बन रहा है। उस दल का और मेरा ध्येय तो एक ही है। पर मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों मूक लोगों को जिस आजादी की जरूरत है, वह इसके दिलाये नहीं मिल सकती। इसके अलावा, मेरा यह विश्वास दिनोंदिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसा के सिवा और किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार की इस संगठित हिंसा के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। बहुतेरे लोगों का यह खयाल है कि अहिंसा कोई सक्रिय शक्ति नहीं है। लेकिन अपने अनुभव से, जो निःसंदेह बहुत सीमित है, मैं यह जानता हूं कि अहिंसा एक जबरदस्त सक्रिय शक्ति है। ब्रिटिश सल्तनत की संगठित हिंसा-शक्ति और देश के हिंसक दल की बढ़ती हुई असंगठित हिंसा-शक्ति के मुकाबले में इस जबरदस्त अहिंसक शक्ति को खड़ा करने का मेरा इरादा है। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो इन दोनों हिंसक शक्तियों को खुलकर खेलने का मौका मिल जायेगा। अहिंसा को मैंने जिस रूप में जाना है, उस रूप में उसकी कार्य-साधक शक्ति में समस्त संदेहों से परे अविचल श्रद्धा रखते हुए भी यदि मैं और अधिक प्रतीक्षा करता हूं, तो वह पापपूर्ण कृत्य होगा।

मैं जानता हूं कि अहिंसात्मक संघर्ष शुरू करके मैं पागलों का-सा साहस कर रहा हूं, वैसा ही जोखिम उठा रहा हूं। लेकिन जोखिम उठाये बिना, और अकसर भारी से भारी जोखिम उठाये बिना सत्य की कभी जीत नहीं हुई है। जो राष्ट्र किसी ऐसे राष्ट्र का जाने या अनजाने शोषण करता रहा है, जो जनसंख्या की दृष्टि से उससे बड़ा है, जो उससे अधिक प्राचीन और उसके जैसा ही सभ्य-सुसंस्कृत है, उस राष्ट्र के लोगों का हृदय-परिवर्तन करने के लिए चाहे जितना जोखिम क्यों न उठाना पड़े, कम ही है।

'हृदय-परिवर्तन' शब्द का प्रयोग मैं जान-बूझकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मन में यही महान आकांक्षा लेकर चल रहा हूं कि अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करके, भारत के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, उसे देखने का सामर्थ्य उन्हें दे सकूं। मैं आपके देश-भाइयों का बुरा नहीं चाहता। अपने देश-भाइयों की तरह ही मैं उनकी भी सेवा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही की है। सन् 1919 तक मैंने आंखें बंद करके उनकी सेवा की। लेकिन जब मेरी आंखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज बुलंद की, तब भी मेरा मकसद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियार का मैंने अपने प्रिय से प्रिय संबंधी के खिलाफ नम्रता से, पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान अंग्रेजों को भी चाहता हूं, तो यह बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। बरसों तक मेरी परीक्षा लेने के बाद, जैसे मेरे कुनबे वालों ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया, वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन कबूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आम जनता मेरा साथ देगी और अगर उसने साथ दिया तो—सिवा उस हालत के कि अंग्रेज लोग समय रहते ही समझ जायें—उसके कष्ट-सहन से कठोर से कठोर लोगों के भी हृदय पसीज जायेंगे। बदनसीबी से देश में आज जो सांप्रदायिक झगड़े फैले हुए हैं, उन्हें आपने बेवजह जरूरत से ज्यादा महत्त्व दिया है। यह तो ठीक है कि किसी भी सरकार की योजना तैयार करने में इनका खयाल रखना जरूरी होगा, लेकिन जो सवाल सांप्रदायिक झगड़ों से परे हैं और जिनके कारण सब कौमों को समान रूप से हानि उठानी पड़ती है, उन सवालों का

इन झगड़ों से कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप नहीं ढूंढ़ निकालेंगे और मेरे इस पत्र का आप पर कोई असर नहीं होगा तो इस महीने की ग्यारहवीं तारीख (बाद में गांधीजी ने यह तारीख बदल दी और 12 मार्च को कूच आरंभ किया) को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा, उतने साथियों के साथ नमक संबंधी कानून को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टिकोण से यह कानून मुझे सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मालूम होता है। आजादी की यह लड़ाई खासकर देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जायेगी। आश्चर्य तो यह है कि हम इतने सालों तक इस क्रूरतापूर्ण एकाधिकार को स्वीकार करके चलते रहे। मैं जानता हूं कि मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना को निष्फल बना देना आपके हाथ में है, परंतु मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद लाखों आदमी अनुशासित ढंग से इस काम को अपने सिर उठा लेंगे और नमक कानून को, एक ऐसे कानून को तोड़ने के लिए दिया जाने वाला सारा दंड खुशी-खुशी भोगेंगे जो विधान-पुस्तक को विरूपित कर रहा है और इसलिए जो कभी बनाया ही नहीं जाना चाहिए था।

मैं आपको अनावश्यक रूप से या कम से कम मेरे लिए जहां तक संभव है, वहां तक किसी धर्मसंकट की स्थिति में नहीं डालना चाहता। अगर आप सोचते हों कि मेरे पत्र में कोई सार है और अगर आप इन मामलों पर मुझसे बातचीत करना योग्य समझते हों तथा यदि इस उद्देश्य से आप यह चाहते हों कि मैं इस पत्र को प्रकाशित न करूं तो आप पत्र मिलते ही इस आशय का तार भेजकर मुझे सूचित करें। फिर मैं इसका प्रकाशन सहर्ष रोक रखूंगा। लेकिन एक कृपा अवश्य कीजियेगा। वह यह कि अगर आप इस पत्र के सार से सहमत न हो सकें तो मैंने अपने लिए जो रास्ता तय कर लिया है, उससे मुझे विमुख न करें।

इस पत्र को किसी भी तरह से धमकी न समझें। इसे लिखना तो एक सविनय प्रतिरोधी का सीधा-साधा और पवित्र कर्तव्य था, जिसे उसे पूरा करना ही था।

सत्याग्रहाश्रम, साबरमती
2 मार्च, 1930 ❑

पृष्ठ 9 का शेष

सर्व सेवा संघ तथा संस्थाओं का विलीनीकरण

चरखा-संघ का प्रश्न : खादीग्राम में पड़े-पड़े चरखा-संघ के विलीनीकरण के प्रश्न पर मैं सोचता रहा। संघ के जो मित्र मुझसे मिलने आते थे, उनसे चर्चा भी करता रहा। अंत में एक बार जब भाई राधाकृष्ण बजाज मुझसे मिलने आये, तो मैंने उन्हें अपना निर्णय सुना दिया और कहा कि चरखा-संघ के सब मित्र तैयार हों, तो अगले सम्मेलन के अवसर पर ही चरखा संघ विलीन हो जाय, ऐसी मेरी इच्छा है। भाई राधाकृष्ण बजाज ने कहा—"आप ही विरोध में थे और आपकी ही ओर से प्रस्ताव हुआ, तो चरखा संघ के लोग सहमत हो जायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।" फिर क्या था, राधाकृष्ण बजाज ने विनोबा से लेकर देश भर के सभी मित्रों के कानों में मेरे ये विचार डाल दिये।

चांडिल सम्मेलन : मार्च 1953 में चांडिल में सम्मेलन हुआ। वहां पर मैंने चरखा संघ के मित्रों के सामने अपना प्रस्ताव रखा। दो दिन तक खूब चर्चा चली। आखिर में उस पर सबकी सहमति रही। अब तक के विलीनीकरण के बाद संघ का जो स्वरूप चल रहा था, उस पर मैंने अपने विचार प्रकट किये। मैंने कहा कि चरखा-संघ भी यदि अपनी ओर से सर्व सेवा संघ में विलीन हो जाय और गो-सेवा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ की तरह अलग से अपने ढंग से खादी का काम करता रहे, अपना कोष तथा अपने कार्यकर्ता अलग रखे तो इस विलीनीकरण से कुछ निष्पत्ति नहीं निकलने वाली है। बापू ने सन् 1945 में समग्रता की बात की थी, उस समग्रता का चित्र सामने आना चाहिए। जिस तरह नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं तथा विलीन होने के बाद उनका अलग से कोई चिह्न नहीं रह जाता है, उसी तरह विलीन हो जाने के बाद संस्थाओं का अपना पृथक अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। सर्व सेवा संघ एक ही संस्था है, इसका हर प्रकार से दर्शन होना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग विभाग तोड़कर एक में मिला देना चाहिए। चरखा संघ का पैसा भी साधारण कोष में चला जाय, यह बात भी मैंने कही।

कोष के बारे में कुछ मित्रों का कहना था कि विधान के अनुसार आप यह नहीं कर सकते। जनता ने खादी के लिए अलग से पैसा दिया था और उसके लिए ट्रस्ट बना। यदि आज उस पैसे को दूसरे काम में इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रस्ट के प्रति हमारी वफादारी नहीं रहती है। मुझे इस दलील में कुछ तथ्य नहीं मालूम पड़ता था। बापू ने जिस समय कोष इकट्ठा किया था, उस समय चरखा के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं था। वस्तुतः बापू के सर्वांगीण विचार का प्रथम चरण चरखा था। आज उसी का आधुनिक चरण भूदान है। उसमें चरखा, नयी तालीम, ग्रामोद्योग आदि सभी कार्यक्रम समा जाते हैं। वस्तुतः बापू ने खुद ही चरखा संघ द्वारा समग्र सेवा का प्रस्ताव स्वीकृत कराया था।

इन विचारों से प्रेरित होकर मैंने कोष को सर्व सेवा संघ के साधारण कोष में विलीन करने का आग्रह रखा। सौभाग्य से मेरी बात सबने स्वीकार कर ली और विलीनीकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। प्रसन्नता की बात है कि यह सर्वसम्मति संपूर्ण थी, क्योंकि उस बैठक में चरखा-संघ के सारे सदस्य उपस्थित थे।

विलीनीकरण स्वीकृत : जाजूजी की इच्छा थी कि विलीनीकरण के संबंध में मैंने जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हें लिखित बयान के रूप में प्रस्ताव के साथ पेश करूं। तदनुसार मैंने भाई कृष्णदास की मदद से एक बयान तैयार करके प्रस्ताव में संलग्न कर दिया। वह बयान सर्व सेवा संघ में भेज दिया गया।

मित्रों ने मेरे बयान के उस हिस्से पर कुछ आपत्ति की, जिसमें मैंने विलीन संस्थाओं के कोष को मिला देने की बात कही थी और ग्रामोद्योग, गो-सेवा, खादी आदि को न रखने का सुझाव रखा था। उन्होंने प्रश्न किया कि भिन्न-भिन्न रुचि और प्रकृति का क्या होगा? मैंने कहा कि सर्व सेवा संघ की सारी प्रवृत्ति समग्र सेवा की होगी। विभिन्न केन्द्रों में संचालक की रुचि और झुकाव के अनुसार विभिन्न मदों पर जोर अवश्य रहेगा, लेकिन केन्द्र की प्रवृत्ति समग्र सेवा की ही रहेगी। उदाहरणार्थ, जहां भाई राधाकृष्णजी बैठेंगे, निःसंदेह वहां गो-सेवा पर जोर रहेगा और जहां मैं बैठूंगा, वहां नयी तालीम पर।

दो दिन चर्चा होने के बाद सर्व सेवा संघ ने मेरे वक्तव्य के साथ विलीनीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। ❑

गिरिराज किशोर

विस्मृति और अन्याय के विरुद्ध एक नाम

❑ पंकज चतुर्वेदी

विख्यात कथाकार गिरिराज किशोर का 9 फ़रवरी, 2020 को सहसा हृदयाघात के चलते देहावसान व्यापक हिन्दी समाज के सन्दर्भ में दुखद और भयावह है। ऐसा इसलिए कि वह एक बड़े लेखक भी थे और बड़े इनसान भी। गिरिराज जी 'पहला गिरमिटिया' और 'बा' सरीखे उपन्यासों की बदौलत अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के हिन्दी कथाकार थे। शमशेर बहादुर सिंह ने एक कविता में लिखा है : 'मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत / लेकिन इनसान के दर्शन हैं मुहाल।' गिरिराज जी से मैं जब भी मिला, अपनी साधारणता की गरिमा में ही वह मिले। सामान्य भारतीय जन के सुख-दुख, आशा-निराशा, आकांक्षा और स्वप्न से वाबस्ता। इसी एकात्मता में अपने होने की चरम सार्थकता को खोजते और गढ़ते हुए सदैव एक लेखक की तरह। वे मूल्यनिष्ठा, कर्मशीलता, निस्पृहता, संवेदनशीलता और औदात्य की जीती-जागती मिसाल थे। इसीलिए अपने परिचितों और मित्रों में ही नहीं, वृहत्तर हिन्दी समाज में लोकप्रिय थे। उनसे मिलकर और उनके बारे में विचार करते हुए बुद्ध का यह कथन प्रासंगिक महसूस होता है—

'सीलदस्सनसम्पन्नं धम्मट्ठं सच्चवेदिनं/
अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं।'

यानी, शील और दर्शन से सम्पन्न, धर्म में स्थित, सत्यवादी और स्व-कर्तव्यरत पुरुष को लोग प्यार करते हैं।

मैं जब कभी उन्हें फ़ोन करता, कॉलर ट्यून के रूप में महात्मा गांधी के प्रिय, नरसी मेहता के रचे ये संगीतमय शब्द सुनायी देते—'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे !' यही आभा उनके व्यक्तित्व में थी और यह अपने से अधिक औरों के लिए ज़िन्दगी जीने की सादगी, निश्छलता और उदारता से जन्म लेती है। गांधी के जीवन-कर्म और वैचारिक वैभव से उनकी गहन संसक्ति थी। एक साक्षात्कार में मैंने उनसे इसकी वजह जाननी चाही, तो उन्होंने कहा था कि 'गांधी ने अवाम के दुखों को समझने, उनके करीब जाने और उनकी मुक्ति के वास्तविक संघर्ष के लिए ख़ुद को 'डीक्लास', यानी वर्गमुक्त किया था।' बड़े लक्ष्य, छोटा जीवन जीते हुए हासिल नहीं किये जा सकते। उसके लिए हमें शब्दों को अपने दैनंदिन आचरण से सत्यापित करना होता है।

हमारी पीढ़ी को गांधी से रूबरू होने का सौभाग्य तो नहीं मिला, मगर गिरिराज किशोर के लेखन से एक ख़ास सन्दर्भ में उनके अवदान की महनीयता को समझ पाने की सलाहियत ज़रूर नसीब हुई। 'पहला गिरमिटिया' दरअसल दक्षिण अफ्रीका में उस व्यक्तित्व के

निर्माण की संघर्ष-कथा है, जिसे बाद में भारत ने गांधी के नाम से जाना। ग़ौरतलब है कि गिरिराज जी की रुचि, प्रक्रिया के इसी सन्दर्भ के अन्वेषण में थी, परिणाम के महिमामंडन में नहीं। इसलिए गांधी पर केन्द्रित अपने उपन्यास की रचना उन्होंने महज़ किताबों के सहारे घर बैठकर नहीं की, बल्कि इसके लिए देश-दुनिया की कई यात्राएँ कीं और दक्षिण अफ्रीका में उन सब जगहों पर गए, जहाँ गांधी ने अपने अहिंसक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की बुनियादी जद्दोजहद की और एक महत्तर आंदोलन के नेतृत्व के क़ाबिल ख़ुद को बनाया था।

गांधी की निर्मिति जिस दिशा में, जिस तरह हुई और जिस यशस्वी मुकाम पर पहुँची, वह मुमकिन न थी, अगर उसके नेपथ्य में कस्तूरबा गांधी सरीखी उनकी आत्मवान् जीवनसंगिनी का आधारभूत योगदान न होता। गांधी के व्यक्तित्व की भव्यता के उजाले में कहीं ऐसा न हो कि हम उस स्त्री के त्याग, तपस्या और दृढ़ता को नज़रअन्दाज़ कर दें; इसलिए गिरिराज जी ने उन पर 'बा' उपन्यास लिखा। उनके एक बेहतरीन उपन्यास 'लोग' में भारतीय समाज में स्त्रियों के जीवन की ट्रेजेडी की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाला एक मार्मिक बयान है—'पुरुष कर्म करते हैं, स्त्रियाँ सिर्फ़ परिणाम भोगती हैं !' इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भी ब्रिटिश हुकूमत में ही हिन्दुस्तानी समाज का चित्रण है। यह कितना सुखद और मूल्यवान् है कि उसी दौर में कस्तूरबा जैसी व्यक्तित्व-सम्पन्न स्त्री भी थी, जिसके समुन्नत नैतिक बोध, सहिष्णुता और करुणा के आलोक में गांधी भी अपनी राह देख और बना सके थे। साहित्य की एक अहम ज़िम्मेदारी यह है कि वह हमारे दाय की विस्मृति के विरुद्ध हमें आगाह करता है और इस मोर्चे पर गिरिराज जी का अवदान सृजन के इतिहास में हमेशा याद किया जायेगा।

बीते चौबीस वर्षों से कानपुर में रहते हुए मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं साहित्य के लिहाज़ से किसी कमतर शहर में रहता हूँ। कारण सिर्फ़ यह था कि यहाँ गिरिराज किशोर रहते थे। आत्म-समृद्धि के लिए वैसे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कभी-कभी कोई एक रचनाकार या रचना भी काफ़ी होती है। उनका होना मेरे तईं ऐसी ही आश्वस्ति और गरिमा का सबब था।

गिरिराज किशोर आई.आई.टी., कानपुर में लम्बे समय तक सृजनात्मक लेखन केन्द्र के प्रोफ़ेसर एवं निदेशक रहे। विगत सदी के अन्तिम वर्षों में जब वे सेवानिवृत्त हुए, तो कानपुर में ही रहने का फ़ैसला किया, जबकि राजधानी दिल्ली में उनका एक फ्लैट था, जिसे उन्होंने बेच दिया। मुझे यह पता चला, तो मैं अचरज में पड़ गया। जिस दौर में ज्यादातर महत्त्वपूर्ण कवि-लेखक साहित्य-संस्कृति की राजधानियों में बस जाना चाहते हैं, उन्होंने कानपुर को चुना और उसे अपनी कर्मभूमि बनाया। मैंने उनसे इस बाबत पूछा, तो बहुत सहज, शान्त और निरभिमान स्वर में बोले—'दिल्ली में मैं काम नहीं कर पाऊँगा।'

गिरिराज जी साहित्य और उससे जुड़े रचनात्मक कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। गोया यही उनके लिए सब कुछ था। लेखकों की दुनिया ही उनकी दुनिया थी। वह रचनाकारों से अपार प्यार करने वाले साहित्यकार थे। सुप्रसिद्ध कथाकार प्रियंवद ने एक भावभीने संस्मरण में बताया है कि वह अक्सर ऐसे किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते ही नहीं थे, जो लेखक न हो। शायद इसी सिफ़त की बदौलत मुझे भी उनके नज़दीक रह पाने की ख़ुशक़िस्मती मिली थी। एक बार एक शैक्षिक संस्था में विषय विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने मेरी नियुक्ति का अनुमोदन किया था। मैंने जब इसके लिए उनके समक्ष आभार व्यक्त किया, तो बोले—'आपके लिए नहीं कहूँगा, तो क्या टॉम, डिक, हैरी के लिए कहूँगा?' यह उपकार करके भी उसका अभिमान न करने की उनकी विनयशीलता थी। मैंने अपनी बेटी का अन्नप्राशन उनके ही हाथों करवाया था। सिर्फ़ इसलिए कि इससे बेहतर आशीर्वाद उसके लिए क्या हो सकता था?

एक बार मेरे जीवन की एक असमाधेय विडम्बना के प्रसंग में उन्होंने मुझसे कहा था—'मैं जानता हूँ, आपको बहुत दुख उठाना पड़ रहा है।' कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, मगर उसके दुख को समझ तो सकता है। जीवन के लिए यह आश्वासन भी कम नहीं होता। पर यह मिलता उसी से है, जिसने अपने दरवाज़े आपके लिए बंद न कर रखे हों! मेरे लिए उनका घर ऐसा ही एक घर था। आज याद करता हूँ, तो उनकी सज्जनता के स्मरण से आँखें सजल हो आती हैं।

गिरिराज किशोर बेहद सादा जीवन जीते थे। किसी बड़े मक़सद के लिए समर्पित जीवन अनलंकृत ही हो सकता है। एक बार एक साहित्यिक समारोह में उनके साथ मैं लखनऊ गया था। लौटते समय रात हो गयी थी। रास्ते में मैंने कहा कि 'सर, भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए!' हम लोग एक ढाबे पर रुके। मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ़ एक रोटी और थोड़ी-सी दही लिया, बाक़ी कुछ भी नहीं। वे सुख-सुविधाओं से इतने अनासक्त रहते थे कि अचरज होता था। इसलिए उनका गांधीमय हो जाना आकस्मिक नहीं था। गांधी की झलक उनके शब्दों में, साँसों में तथा समूचे जीवन में नज़र आती थी। गिरिराज जी के हृदय की एक शल्य-चिकित्सा लगभग तीन दशक पहले हुई थी। उसके बाद उनके दीर्घ जीवन का आधार यही अपरिग्रह था। लेकिन वह निष्प्रयोजन नहीं, रचना-कर्म के लिए जीवित रहना चाहते थे।

मुझे याद है कि पन्द्रह-बीस साल पहले उनका एपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। चूँकि यह छोटा-सा ऑपरेशन होता है और मैं एक सम्पादक की 'डेडलाइन' के दबाव में एक लेख लिखने में फँसा हुआ था, इसलिए उन्हें देखने अस्पताल नहीं जा पाया। उनका फ़ोन आया—'क्या कर रहे हो?' मैंने कुछ अपराध-बोध के साथ बताया कि एक काम में लगा हूँ। वह ज़रा भी नाराज़, अप्रसन्न या अनुदार नहीं हुए। उल्टे, मेरे समर्थन में केवल इतना कहा—'काम ज्यादा ज़रूरी है!'

बीते वर्ष 20 अक्टूबर को वह अपने घर में गिर पड़े थे, जिसके कारण उनके कूल्हे की हड्डी टूट गयी। कोई तिरासी बरस की उम्र में उन्हें एक बड़े ऑपरेशन से गुज़रना पड़ा। कुछ दिनों बाद मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने देखा कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन बहुत अवसाद में थे। उनकी जीवन-संगिनी मीरा जी ने एकांत में बताया कि उनकी स्मृति कुछ-कुछ क्षीण हो रही है। बातों से बीच-बीच में मुझे भी इसका हल्का-सा एहसास होता था। ज़िन्दगी से रिश्ता टूटने की शायद यह बहुत ख़ामोश दस्तक थी, मगर मेरा दिल उसे सुनने को तैयार न था। मैंने उनसे कहा—'अब तो आप ठीक हो जाएँगे!' बोले—'हाँ, लेकिन मेरे काम का बहुत नुक़सान हो रहा है।' मैं उनकी भावना समझ रहा था, जीवन जो काम के बग़ैर जिया गया, क्या जीवन है!

9 फ़रवरी को मैं कानपुर में अपने घर से बहुत दूर देहरादून में था, तो यह दारुण समाचार मिला कि हृदय-गति रुक जाने से गिरिराज जी नहीं रहे। यक़ीन नहीं हुआ। लौटते ही उनके घर गया। मीरा भाभी ने बताया कि वह ठीक हो गये थे और चलने लगे थे। मगर डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि छड़ी के सहारे के बग़ैर न चलें। फिर भी वे सहारा लिये बिना चले और तीन दिन पहले गिर पड़े। कूल्हे के कुछ नीचे दोबारा फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। कुछ दिन और शय्याग्रस्त रहना पड़ेगा, तभी हड्डी जुड़ सकती है। इससे उन्हें सदमा लगा कि शायद अब वह काम नहीं कर पायेंगे ! मैं समझता हूँ कि आख़िर उस ज़िन्दगी को उन्होंने अस्वीकार किया, जिसमें अपनी सक्रियता के अनुकूल परिस्थिति का इंतज़ार करते-करते वह थक गये थे। यह एक सच्चे कर्मयोगी की शोक-संतप्त कर देने वाली गरिमामय विदाई है, जिसे अपने रचना-कर्म की शर्त से कम कुछ भी मंज़ूर नहीं था।

फ़ासीवादी राजनीति के अँधेरे समय में गिरिराज किशोर रोशनी की एक भरोसेमंद क़ंदील थे। उन सरीखे निर्भय सत्यवादी की ज़रूरत आज ज्यादा थी। सबूत है कि आसन्न अतीत में वैचारिक असहमति के कारण मध्यप्रदेश के शीर्ष साहित्यिक सम्मान को वहाँ के दक्षिणपंथी मुख्यमंत्री के हाथों लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उनका जाना हिन्दी समाज, साहित्य और संस्कृति की दुनिया को विपन्न कर गया है। यह महज़ संयोग नहीं कि मुझे गांधी-मार्ग पर चलने वाले हिन्दी के सबसे बड़े लेखक की विदाई पर गांधी के ही अनुयायी शीर्ष कवि भवानीप्रसाद मिश्र की ये कविता-पंक्तियाँ बरबस याद आ रही हैं :

'तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है
पर ख़ास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है
बस एक बात है, वह केवल ऐसी है
कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं।' ❑

विनय भाई ने दिया था पहला गिरमिटिया का आइडिया

गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखने का आइडिया गांधीवादी चिंतक, गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख और सर्वोदय जगत के संपादक रहे विनय भाई ने दिया था। उस वक्त गिरिराज किशोर प्रगतिशील लेखक थे। वे समकालीन सामाजिक लेखन पर कार्य कर रहे थे। एक दिन प्रतिष्ठान में बातचीत के दौरान विनय भाई ने उन्हें गांधी साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी। इस पर गिरिराज ने गांधी साहित्य पढ़ना शुरू किया और चंद दिनों में ही वह शोधकर्ता हो गये। जब विनय भाई ने उन्हें गांधी साहित्य पढ़ने का सुझाव दिया, उस वक्त गिरिराजजी गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में काम कर रहे थे। वह उस समय आईआईटी में कार्यरत थे और प्रगतिशीलता पर चिन्तन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने हिन्द स्वराज पर काम किया। पहला गिरमिटिया लिखने के बाद उन्होंने गांधीजी की पत्नी कस्तूरबा पर भी काम किया। सारा साहित्य उन्हें गांधी शांति प्रतिष्ठान केन्द्र से मिला। इसके बाद उन्होंने विदेश जाकर गांधी साहित्य का अध्ययन भी किया। **–बिन्दा भाई**

जेल की बैरक से...

❑ प्रदीपिका सारस्वत

चौरीचौरा से राजघाट की नागरिक सत्याग्रह पदयात्रा में शामिल दस नौजवान साथियों को गाजीपुर, उ. प्र. की सीमा में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एकमात्र पत्रकार प्रदीपिका सारस्वत भी शामिल थीं। लगभग पांच दिन चली जद्दोजहद के बाद जमानत मिली और पुलिस ने पदयात्रियों को गाजीपुर की सीमा के पार ले जाकर छोड़ दिया। 15 फरवरी को जेल से ही प्रदीपिका ने देश के नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जो सोशल और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी काफी वायरल हुई। भारतीय जेलों के अंदर की कुव्यवस्था, बंदियों और बंदिनियों के साथ बरती जाने वाली अमानवीयता और प्रशासनिक खुदगर्जियों का यह आकलन, फिरंगियों की क्रूरता की याद दिलाता है। पत्र का भाषा-लाघव दर्शनीय है। प्रदीपिका के उठाये सवालों पर व्यापक विमर्श की जरूरत है। **–सं.**

मैंने 31 साल के अपने जीवनकाल में कभी नहीं सोचा था कि मुझे जेल से आपको संबोधित करने का अवसर मिलेगा. गाजीपुर जेल में यह मेरा पांचवां दिन है. जेल के महिला वार्ड में पिछले चार दिनों का अनुभव बहुत कुछ सिखाने वाला है. ये सीखें इस देश के बारे में भी हैं और मेरे बारे में भी. जेल में गांधी की 'सत्य के प्रयोग' पढ़ते हुए ये सीखें और संघनित हो उठती हैं. मैं देखती हूं कि शासकों के बदल जाने से शासन बहुत नहीं बदलता, अगर शासकों की मंशा न बदले. यह बात मैं किसी पार्टी या सरकार विशेष के संबंध में नहीं कह रही हूं.

दस पदयात्रियों, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है, को पकड़कर जेल में डाल दिए जाने के पीछे शासकों की मंशा आखिर क्या हो सकती है? हमारे पैदल चलने से यदि देश या राज्य में शांति भंग की आशंका थी तो क्या इस सवाल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि देश या प्रदेश की शांति कितनी भंगुर है!

जेल के भीतर दो बैरकों में 40 से अधिक महिलाएं हैं, जबकि एक बैरक मात्र छह बंदियों के लिए है. यहां के अधिकारी तक मानते हैं कि जेल में पूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं. अधिकतर महिलाएं दहेज प्रताड़ना के मामले में कैद हैं. कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनका मामला पांच सालों से चल रहा है पर अब तक फैसला नहीं हुआ है. कितना अन्यायपूर्ण है पांच साल तक निरपराध जेल में रहना! कानूनन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, तब तक आप निरपराध ही तो हैं. यदि न्यायालय इन बंदियों को निरपराध घोषित कर दे तब? इनके पांच साल कौन लौटा सकेगा?

यहां कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, जिनकी ज़मानत के आदेश हो चुके हैं पर उनकी ज़मानत कराने वाला कोई नहीं. इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या किसी की नहीं? जेल में आकर आप एक ऐसे भारत से मिलते हैं, जो बेहद लाचार है. ये सब महिलाएं मुझे उम्मीद की नजरों से देखती हैं. इन्हें लगता है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूंगी. ये कहती हैं कि जैसे आपको बिना जुर्म जेल लाया गया है, वैसे ही हमें भी लाया गया है. अगर एक भी महिला सच कहती है, तो ये हमारी न्याय-व्यवस्था की असफलता है.

यह व्यवस्था किस तरह चींटी की-सी चाल चलती है, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, पर इस गतिहीनता का असर जिन पर पड़ता है, वे ही जान सकते हैं कि यह कितनी हिंसक और अमानवीय है. खास तौर पर आत्महत्या करके मर जाने या मार दी जाने वाली बहुओं के मामले में बहुत काम किये जाने की जरूरत है. सही काउंसलिंग कराये जाने की ज़रूरत है. परिवारों में आपसी सौहार्द का न होना, पूरे परिवार को कहां तक ले जा सकता है, ये मैं जेल में रहकर देख रही हूँ. एक परिवार के पांच-छह लोग जेल में हैं, परिवार के एक सदस्य की जान जा चुकी है. छोटे बच्चों से उनका भविष्य छिन जाता है और वकीलों को मोटी-मोटी फीस वर्षों तक देनी होती है. ये महिलाएं मुझे बताती हैं कि इनके घरों में ताले पड़े हुए हैं. अनाज के कुठारों में अनाज सड़ रहा है और खेतों में फसलें। जानवरों को चारा देने को भी कोई नहीं बचता. अक्सर अशिक्षा और अज्ञान के कारण स्थितियां और विषम हो जाती हैं. वकीलों, पुलिस और न्यायालय कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग इस तरह नहीं होती कि कम से कम नुकसान में जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और मध्यस्थता के जरिये चीजें निपटा दी जाएं.

गांधी प्रिटोरिया में अपने पहले मुकदमे से मिली सीख के बारे में लिखते हैं - 'मैंने सच्ची वकालत करना सीखा, मनुष्य स्वभाव का उज्जवल पक्ष ढूंढ़ निकालना सीखा. मनुष्य हृदय में पैठना सीखा. मुझे जान पड़ा कि वकील का कर्तव्य फरीकैन के बीच खुदी खाई को भरना है. इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि मेरी बीस साल की वकालत का अधिक समय अपने दफ्तर में बैठे सैकड़ों मुकदमों में सुलह कराने में ही बीता. इसमें मैंने कुछ खोया नहीं. पैसे के घाटे में रहा, यह भी नहीं कहा जा सकता. पर आत्मा तो नहीं गंवाई.'

हमारे वकीलों, अधिकारियों व प्रशासन व्यवस्था से जुड़े अन्य कर्मचारियों को गाँधी की इस सीख से कितना सीखने की जरूरत है, ये कल की एक घटना के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगी. कल दोपहर यहां के सांसद अफज़ाल अंसारी मेरे सत्याग्रही साथियों से मिलने आए. महिला बैठक को भी संदेश मिला कि वे यहां भी आएंगे. उनकी विजिट से पहले बैरक की सभी महिलाओं को काफी अभद्र भाषा में कहा गया कि दीवारों की ईंटों के बीच की दरारों में फंसे लकड़ियों के टुकड़े पर सूखते कपड़ों को हटा लिया जाए और सभी महिलाएं एक तरफ इकट्ठी हो जाएं. मेरे कपड़े भी इन लकड़ियों पर थे. कपड़े सुखाने के लिए इन बैरकों में कोई अन्य व्यवस्था नहीं है. क्यों नहीं है, ये सवाल बेचारगी से जूझती क़ैदी पूछ नहीं पातीं, और जेल के व्यवस्थापकों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ता. एक साथी कैदी ने मेरे भी कपड़े हटा दिए. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन गीले कपड़ों का क्या किया जाएगा. मैं आदेश देने वाली जेल की सिपाही से पूछना चाहती थी कि इन कपड़ों को आखिर हम कहाँ ले जाएं, कुछ समय बाद मालूम हुआ कि सांसद अंदर नहीं आ रहे हैं. मुझे उनसे मिलने के लिए जेल अधीक्षक के दफ्तर में ले जाया गया. मुझे इस तरह अन्य कैदियों के साथ रखे जाने पर सांसद ने आपत्ति जताई. मेरे

लिए अलग व्यवस्था करने की हिदायत दी गई, बाहर से कंबल, तकिया, बिछावन भी भेजा गया. पर अन्य कैदियों का क्या?

बैरकों में किसी तरह की सुविधा नहीं है. 12-ए में नहाने के लिए स्नानागार तक नहीं है. खुले में नहाना पड़ता है. कैदियों के घर से जो सामान आता है या जो उनके कपड़े आदि हैं, उन्हें रखने के लिए प्लास्टिक के झोलों को दीवार में खूंटियों पर टांगने भर का सहारा है. किसी तरह की अलमारी या लॉकर की कोई व्यवस्था नहीं है. सुबह का नाश्ता रोज नहीं मिलता. हफ्ते में दो दिन पाव रोटी और दो दिन भींगे चने, बाकी दिन सिर्फ चाय. ये सब परेशानियाँ रोज़ होती हैं, रोज़ इनके खिलाफ़ गुस्सा भी बढ़ता है, पर थोड़ी ही देर में यह गुस्सा असहायता में बदल जाता है. अपराधी हों या न हों, इन क़ैदियों के साथ व्यवहार अपराधियों वाला ही किया जाता है. जेल में एक और चीज़, जो मेरा ध्यान खींचती है, वह है जातिवाद. यह जातिवाद समाज के सबसे निचले और अशिक्षित तबके की इन नागरिकों के भीतर भी है और इनकी देखरेख या कहूँ, इन पर शासन के लिए तैनात सिपाहियों और होमगार्ड्स में भी. पहला सवाल, जो एक बुज़ुर्ग महिला क़ैदी मुझसे पूछती है, वह मेरी जाति के बारे में होता है.

एक और समस्या जो मैं देख पाती हूं, वह है संवाद की. जेल में अपनी जमानत और अन्य सूचनाओं की राह देख रही बंदिनियों तक तुरंत सूचना पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है. अगले दिन, जब तक परिवार का कोई सदस्य उन तक नहीं पहुंचता, तब तक वे आशंकाओं और उम्मीद के भंवर में डूबती-उतराती रहती हैं., रोती रहती हैं. थोड़े बहुत पैसे देकर जेल कर्मचारियों से गुज़ारिश करती हैं कि उनके घर फ़ोन करके पता कर दें. एक-एक पैसे को मोहताज इन महिलाओं पर यह अनावश्यक बोझ है, इसे दूर किया जाना चाहिए. समस्याएँ और भी हैं. अपनी निजी परेशानियों के चलते मैं समस्याओं को उस निष्पक्षता से नहीं समझ सकी हूँ, जो एक पत्रकार को अपने काम के वक्त सुलभ होती है. पर इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जेल सुधार व न्याय-व्यवस्था में सुधार मुझे इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत मालूम होते हैं। ❑

... पृष्ठ 7 का शेष

600 और डायरियों के ऑर्डर आये। यह बताता है कि हमारी डायरी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। कई लोग तो हमारी डायरी का उपयोग संदर्भ स्रोत के रूप में करते हैं।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित तथा ईपी मेनन द्वारा लिखित पुस्तक 'Foot Prints on Friendly Roads' पर एक फिल्म का निर्माण हो रहा है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। गांधी की आत्मकथा (सत्य के प्रयोग) में सन् 1921 तक की बातों को समाविष्ट किया गया है। इसके बाद की अवधि की घटनाओं को हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा लिखित 'बापू-कथा' में शामिल किया गया है। अभी हाल में इसका अंग्रेजी संस्करण 'Gandhi : His Experiments with Truth' प्रकाशित हुआ।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन मुख्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में पुस्तकों का प्रकाशन करता है। पिछले दिनों बांग्ला में दो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। गांधी के जीवन के नये-नये आयाम हमारे सामने आते रहते हैं। इसी पर आधारित एक नयी पुस्तक 'चैप्लिन का गांधी' हमारा नया प्रकाशन है। यह पुस्तक उपन्यास के स्वरूप में लिखी गयी है। हमारे कुछ और नये प्रकाशन हैं—डॉ. जे. एस. अग्रवाल/रवि अग्रवाल कृत 'चमत्कारी होमियोपैथी', राजेन्द्र श्रीवास्तव कृत 'भारतीय वीरांगनाएं', विनोबा कृत 'सत्याग्रह' तथा 'नये भविष्य की ओर', आचार्य राममूर्ति कृत 'गांव का विद्रोह' और मूलराज आनंद कृत 'Food for Health'.

अध्यक्ष की कलम से

विश्वविद्यालयों में गांधी साहित्य केन्द्र : आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग तथा पटना विश्वविद्यालय परिसर में गांधी साहित्य केन्द्र के लिए हमें स्थान उपलब्ध कराया गया है। यह हमारी एक और बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक युग आने के कारण साहित्य की बिक्री पर इसका असर पड़ा है। इस प्रतिकूलता के बावजूद हमारा प्रकाशन विभाग नये-नये क्षेत्रों में अपने कदम रख रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। मैं सर्व सेवा संघ प्रकाशन के संयोजक अरविन्द अंजुम तथा सभी कार्यकर्ताओं को बधाई तथा साधुवाद देता हूं।

राजघाट समाधि पर सर्वोदय बुक स्टाल : नयी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि के पार्किंग एरिया में सर्व सेवा संघ को गांधी साहित्य केन्द्र स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया है। यहां प्रतिवर्ष देश व दुनिया से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पधारते हैं। आशा है कि वे सब गांधी-साहित्य से लाभान्वित होंगे।

सर्व सेवा संघ का अगला अध्यक्ष : देश के विभिन्न भागों से लोकसेवक नये अध्यक्ष के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते रहते हैं। मैं उन्हें जवाब देता हूं कि सर्व सेवा संघ का संगठन किसी की उम्मीदवारी निर्धारित नहीं करता है। अपनी उम्मीदवारी का निर्णय उम्मीदवार को खुद करना पड़ता है।

मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि जिन्हें भी अध्यक्ष की जिम्मेवारी लेने की इच्छा हो, उनके पास दिन के 25 घंटे और महीने के 32 दिन होने चाहिए। सर्व सेवा संघ का काम बहुत बड़ा है। मैंने पिछले 12 वर्षों से अपना पूरा समय सर्व सेवा संघ के लिए समर्पित कर दिया है। फिर भी देखता हूं कि सभी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अध्यक्ष के लिए उसकी एकमात्र प्राथमिकता सर्व सेवा संघ होनी चाहिए। अंशकालीन समय देने से इतने बड़े राष्ट्रीय संगठन को नहीं चलाया जा सकता है। सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी हो तो अलग बात है।

गांधी-विचार के अध्येता : वाराणसी स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मदनमोहन वर्मा गांधी विचार के अध्येता तथा रसिक हैं। गांधी साहित्य तथा विचार का प्रचार-प्रसार उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। वे कहते हैं कि आज लोग बिना पढ़े गांधी के विरुद्ध कई धारणाएं बना लेते हैं। यदि वे प्यारेलाल लिखित 'पुर्णाहुति' को भी पढ़ लें तो उनकी अनेक समस्याओं का समाधान हो जायेगा। उन्होंने वाराणसी में तीन स्थानों पर अपने खर्चे से गांधी की प्रतिमा स्थापित की है। चौथी प्रतिमा सर्व सेवा संघ के राजघाट, वाराणसी परिसर में स्थापित कर रहे हैं। अगले महीने इसका अनावरण होगा। मदनमोहन वर्मा को सर्व सेवा संघ की बधाई तथा साधुवाद। **–महादेव विद्रोही**

खंडित समाजिक-न्यायिक व्यवस्था के बीच कैसा महिला दिवस!

❑ श्रुति अग्रवाल

निर्भया केस की फाइल पलटते हुए भी भय लगने लगा है। 16 दिसंबर 2012 की रात की दहशत अब लड़कियों के जेहन में सख्त बर्फ की तरह जम गई है, जिसके पिघलने के आसार नजर नहीं आते। निर्भया को बचाया न जा सका। उसके आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन सोच नहीं बदली। अपराधी साफ कहते हैं कि बालात्कार के लिए पुरूषों से ज्यादा महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। अपराधियों की इस घिनौनी सोच को हमारे नेता, हमारे आसपास के लोग हर गली-नुक्कड़ में पाल-पोस रहे हैं। हर गलती में दोष लड़की के सर पर ही मढ़ दिया जाता है। हमारे आस-पास की सिर्फ सोच ही घटिया नहीं, सिस्टम भी नाकारा है। निर्भया केस में अभी एक अखबार में रिपोर्ट आई कि जेल प्रबंधन और दिल्ली सरकार ने निर्भया के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए ढाई साल तक फाइल को आगे बढ़ाया ही नहीं। जब निर्भया की माँ कोर्ट पहुंची, तब दोषियों को नोटिस दिए गए। इसके बाद से तारीख पर तारीख का सिलसिला लगातार चल रहा है। अपराधी को दंडित करना, न्याय का मिलना नहीं होता, लेकिन इस मामले में कानून का मजाक बनाकर रख दिया गया है। किसी तरह का कोई समय मुकर्रर नहीं किया गया या मुकर्रर समय की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। हर तारीख के बाद निर्भया की माँ थोड़ा और टूटी नजर आईं, लेकिन नतीजा अब तक तो सिफर ही रहा है। सच कहें तो टूट तो पूरी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था गई है। आम इंसान हैदराबाद की युवा पशु चिकित्सक की निर्भया जैसी हालत देखकर एनकाउंटर पर तो ताली बजाता है, लेकिन उन्हीं हाथों से इस गंदी सोच का गला नहीं घोंटता। दिमाग पर जोर देकर सोचिए, हम हैदराबाद एनकाउंटर पर ताली पीट सकते हैं, लेकिन गार्गी कॉलेज में उत्सव मना रही लड़कियों के ऊपर यौन हमला करने वालों पर चुप्पी साध लेते हैं। कॉलेज प्रशासन-प्रबंधन से लेकर पुलिस तक सबकी चुप्पी देखने लायक है। इस तरह की घटनाओं में पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है तो आस-पास के लोग लड़कियों को जिम्मेदार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर से सोचिए, भुज के सहजानंद कॉलेज की 68 स्टूडेंट्स के अंतःवस्त्र किसी स्मगलिंग या चोरी के आरोप में नहीं, रजस्वला हैं या नहीं, यह जांचने के लिए उतरवाए जाते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, जिस स्वामीनारायण मंदिर से यह कॉलेज जुड़ा है, उसी के एक स्वामी कृष्णदास स्वरूप भरे मंच से कहते है कि जो स्त्री मासिकधर्म में खाना बनाती है, वह अगले जन्म में कुतरी बनकर पैदा होती है। जो आदमी रजस्वला स्त्री के हाथ का बना खाना खाता है, वह अगले जन्म में बैल बनकर पैदा होता है। इसमें सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इस तरह के स्वामी-नेता मंच पर आसीन होकर अगले जन्म की बात बताते हैं, लेकिन इस जन्म में प्रवचन सुनने वालों की भीड़ में से एक भी व्यक्ति खड़ा होकर इनका मुंह बंद नहीं करवाता।

जब तक इस तरह की घटिया-निम्न स्तरीय बयानबाजी चलती रहेगी, तब तक किसी महिला दिवस का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप हर गली-मोहल्ले-चौराहे पर स्त्री अस्मिता को लगातार चुनौतियां तो दे ही रहे हैं। हल्के में मत लीजिए इन बयानबाजियों को, ये संत-महात्मा-नेता बड़ी संख्या में लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनके अनुयायी बने आम लोग मानने लगते हैं कि लड़का-लड़की बराबर तो होते ही नहीं। इस तरह की सोशल कंडीशनिंग में पली-बढ़ी महिला भी अपने साथ हो रहे गलत को, सही या नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। घरेलू हिंसा का वास्तविक आंकड़ा किसी के सामने कभी आ ही नहीं पाता है। हर दूसरे घर में हर दूसरी बात में महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। आस-पास का समाज भी सब देखते, जानते, समझते हुए आंखों पर पट्टी बांध लेता है।

इस सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था के अलावा एक बड़ी बात आर्थिक व्यवस्था की भी है। भारतीय महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात उनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक दस्तावेज में आर्थिक ग्रोथ में महिलाओं की भागीदारी के मामले में दुनियाभर के 145 देशों में से भारत का स्थान 139वां है। महिलाओं की समाजिक स्थिति का गणित इसी आर्थिक विश्लेषण से बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहां उनके काम को पूरा सम्मान भी नहीं दिया जाता, साथ ही उन्हें काम करने की हर आजादी से रोकने के लिए नए-नए नियम-बंधन लाद दिए जाते हैं। बराबर की सैलरी की बात तो छोड़िए, घर के अंदर हाड़तोड़ मेहनत करने वाली घरेलू महिला के काम का तो कोई मूल्यांकन ही नहीं किया जाता। उसके साथ ही न जाने कितनी घरेलू सहायिकाएं हैं, जो दूसरों के घरों के काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं, उनकी वर्किंग वुमेन में गिनती ही नहीं की जाती। जबकि उनकी सुबह कब होती है और कब शाम बीत जाती है, इसका कोई हिसाब नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसके लिए सभी सामाजिक-गैरसामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, लेकिन कोई आता नहीं है। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं होता। निर्भया कांड के बाद लड़कियों को भय से मुक्त करने के लिए फंड तो बनाया जाता है, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गये आंकड़े किसी थप्पड़ की तरह लगते हैं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने निर्भया फंड के तहत आवंटित कुल बजट के 20 प्रतिशत से भी कम हिस्से का उपयोग किया। उसके बाद अखबारों की सुर्खियों और टीवी की हेडलाइंस पर फिर किसी लड़की के साथ दुर्दांत घटना होने की खबरें छाने लगती हैं। इन खबरों की धुंध के बीच में एक दिन आता है, महिला दिवस के उत्सव के लिए। लेकिन तब तक सब व्यर्थ है, जब तक हम अपने आस-पास की सोशल कंडीशनिंग को नहीं बदल लेते, महिलाओं के प्रति हो रही अमानवीयता के नासूर का इलाज नहीं कर लेते।

गांधी जी ने 1938 में कहा था, 'सबसे बड़ा सवाल है कि नौजवान लड़के सामान्य शिष्टाचार भी क्यों छोड़ दें, जिससे भली लड़कियों को उनसे उत्पीड़न और सताए जाने का हमेशा डर लगा रहे? मुझे यह जानकर बड़ा दुख होगा कि ज्यादातर नवयुवकों में स्त्री सम्मान की भावना गायब हो गयी है। बतौर युवक वर्ग, इन्हें तो अपनी छवि के बारे में चिंतित होना चाहिए। यही नहीं, अपने साथियों के बीच पायी जाने वाली (स्त्रियों के प्रति) असभ्यता के ऐसे हर मामले का इलाज करना चाहिए'। ❑

लोक-विमर्श

पुलवामा हत्याकाड

आश्चर्यजनक है सरकार की खामोशी

❑ समीरात्मज मिश्र

पिछले साल की शुरुआत में, जब देश में आम चुनावों की दुंदुभि बजने ही वाली थी, तभी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ़ के एक क़ाफिले पर हुए चरमपंथी हमले ने देश भर को हिलाकर रख दिया. 14 फ़रवरी को 2019 को दिन में हुए इस हमले में चालीस से अधिक जवानों की मौत हो गई थी। इनमें से 12 जवान उत्तर प्रदेश से थे.

सरकार ने मारे गए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना के साथ-साथ दरियादिली भी दिखाई. परिवार वालों को आर्थिक मदद के अलावा नौकरी देने की भी घोषणा हुई, स्मारक बनाने और सड़कों का नाम जवानों के नाम पर करने की भी बातें हुईं, लेकिन गहरे अफसोस की बात है कि ये तमाम घोषणाएं आज भी ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं. जवानों के परिजनों की यह शिकायत तो है ही कि सरकारी घोषणाएं, घोषणाएं हीं रही गयीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि लगातार मांग करते रहने के बावजूद, इस घटना की कोई जाँच नहीं हुई.

उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के लोकनगर मोहल्ले के रहने वाले अजीत कुमार आज़ाद सीआरपीएफ़ की बटालियन 115 में तैनात थे. 14 फ़रवरी को वे भी उस क़ाफिले में शामिल थे, जिस पर चरमपंथी हमला हुआ था. अजीत कुमार उस हमले में मारे गए थे. एक दिन पहले ही उनकी अपने परिवार वालों से बात हुई थी और तब उन्होंने बताया था कि बटालियन सुरक्षित जगह भेजी जा रही है. अजीत कुमार की पत्नी मीना गौतम को राजस्व विभाग में नौकरी मिल गई और सरकार की ओर से घोषित पचीस लाख रुपये भी मिल गए। लेकिन न तो स्मारक बना, न सड़क का नामकरण हुआ और न ही उनकी सबसे अहम मांग मानी गई.

अजीत कुमार के भाई रंजीत आज़ाद कहते हैं कि कई घोषणाएं अधूरी हैं. उसके बाद कोई हाल पूछने तक नहीं आया. हमें इन सबसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें कष्ट सिर्फ इस बात का है कि जिस हमले में देश के चालीस जवान मार दिए गए हों, सरकार ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? रंजीत कहते हैं कि कुछ दिनों तक वे लोग दूसरे जवानों के परिजनों के साथ मिलकर अपनी इस मांग को उठाते रहे, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो शांत हो गए.

कन्नौज के रहने वाले प्रदीप यादव भी इस हमले में मारे गए थे. उनकी पत्नी नीरजा की भी शिकायत है कि सरकार ने हमले की जाँच क्यों नहीं करायी। नीरजा कहती हैं कि नौकरी तो मिल गई, लेकिन छोटे बच्चों को छोड़कर रोज़ डेढ़ सौ किमी जाना पड़ता है. स्मारक बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं बना. सरकार ने पैसे और नौकरी देकर अपना पीछा छुड़ा लिया. अब किसी को भी हमारे बारे में जानने की फ़ुरसत नहीं है.

प्रयागराज जिले में मेजा के रहने वाले महेश यादव भी इस हमले में मारे गए थे. उनके पिता राजकुमार बेहद निराशा के साथ कहते हैं कि शहीद के नाम पर राजनीति तो की गयी, लेकिन परिवार के लिए जो भी वादे किए गए, वे एक साल बाद भी पूरे नहीं हो पाए. बहू को नौकरी भी नहीं मिली, न ही छोटे बेटे को नौकरी मिल पाई. जिले के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र पांडेय कहते हैं कि सरकारी वादे पूरे कर दिए गए हैं. उनके मुताबिक़, 'सरकार की ओर से घोषित आर्थिक मदद और नौकरी की व्यवस्था तत्काल करा दी गई थी. इसके अलावा भी जो मदद हो सकती थी, वह की गई थी. लेकिन यदि कुछ कमी रह गई होगी तो ज़रूर पूरी की जाएगी.' उन्नाव में अजीत कुमार आज़ाद के परिजन आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पुलवामा की घटना कोई चरमपंथी हमला था. रंजीत कहते हैं कि इतनी सुरक्षित जगह पर इतना विस्फोटक लेकर कोई चला जा रहा है, ये किसकी ख़ामी है? ख़ुफिया विभाग की ख़ामी है, प्रशासन की है, सरकार की है, जिसकी भी हो, ये जानने का हक़ तो हमें भी है और देश को भी है. आख़िर क्यों नहीं ये जाँच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जा रही है? हम लोग मांग करते-करते थक गए और अब तो नाउम्मीद भी हो चुके हैं.

सीआरपीएफ़ की 115 बटालियन के सिपाही अजीत कुमार अपने पाँच भाइयों में सबसे बड़े थे. उनके एक और भाई सेना में हैं, जबकि एक भाई पुलिस में हैं. अजीत की पत्नी मीना गौतम को राज्य सरकार ने क्लर्क की नौकरी दे दी है, लेकिन मीना गौतम को अभी भी सरकार से शिकायत है. वे कहती हैं कि हमारा तो सब कुछ छिन गया है. मुआवज़े से हम क्या कर लेंगे और कितना कर लेंगे? लेकिन ये हमारी समस्या है. हम तो चाहते हैं कि पुलवामा में जो ग़लती हुई है, वह लोगों के सामने आए ताकि दोबारा ग़लती न हो. फिर से बिना किसी वजह के जवान न मारे जाएं. हमारे पति दुश्मनों से लड़ते हुए मारे जाते तो हमें कितना गर्व होता!

पुलवामा हमले की जाँच की मांग सिर्फ अजीत कुमार का ही परिवार नहीं कर रहा है, बल्कि इस हमले में मारे गए दूसरे जवानों के परिवार भी जाँच की मांग करते रहे हैं. शामली जिले के प्रदीप कुमार और मैनपुरी के राम वकील भी इस हमले में मारे गए थे और उनके परिवार वाले भी घटना की जाँच चाहते हैं. राम वकील की पत्नी गीता देवी फ़ोन पर बातचीत में कहती हैं कि सरकार इस हमले के सबूत सार्वजनिक करे और पुलवामा की घटना की भी जाँच हो कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हो गया? हमें आश्चर्य है कि अब तक जाँच के मामले में सरकार चुप क्यों है? **–बीबीसी**

गतिविधियां एवं समाचार

देशद्रोह नहीं है किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन : इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक मुम्बई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति के मामले में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के दिये आदेश को पलटते हुए कहा है कि किसी को सिर्फ इसलिए राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता कि वह किसी कानून का विरोध करना चाहता है। कोर्ट के दो जजों की डिवीजनल बेंच ने कहा कि किसी विरोध को सिर्फ इसलिए रोका नहीं जा सकता कि वह सरकार के खिलाफ है।

बीड में रहने वाले 45 वर्षीय इफ्तिख़ार शेख़ ने बीते महीने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी थी। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इफ्तिख़ार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अखबार कहता है कि कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लोगों को लगता है कि कोई खास कानून उनके अधिकारों पर हमला है तो वे अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम नहीं तय कर सकते कि अधिकारों के पालन के कारण कानून व्यवस्था की समस्या होगी या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे देश और धर्म या देश की संप्रभुता के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण विरोध करेंगे।

गांधी प्रतिमा तोड़ने के विरोध में उपवास, धरना : एक तरह जहां हमारा देश व पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और बा की 150 वीं जयंती मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाँधी विचार के विरोधी उनकी मूर्तियों को तोड़ कर अपनी घृणा साबित करने में लगा हुए हैं. फरवरी 7-8 की रात्रि में कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने हजारीबाग में गाँधी स्मारक स्थित मूर्ति तोड़ कर अपनी घृणा प्रकट की। जिला लोक समिति व सर्वोदय मित्र मंडल, झारखण्ड तथा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी-बा की 150 वीं जयंती अभियान समिति और संघर्ष वाहिनी मंच की ओर से 13 फ़रवरी 2020 को रांची में प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपवास और धरना किया गया. उक्त कार्यक्रम के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि हजारीबाग में अवस्थित विभूतियों के स्मारकों के संरक्षण व विकास के लिए 'विभूति स्मारक संरक्षण व विकास समिति' का गठन किया जाय, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी–उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, कुलपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय एवं स्थानीय गाँधी, विनोबा तथा जय प्रकाश के विचारों से जुड़े व्यक्ति शामिल किये जायें, ताकि समय समय पर इन स्मारकों की निगरानी और विकास हो सके. साथ ही ऐसी जगहों को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से प्रेरित हों.

गांधीजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम : गांधीजी की पुण्यतिथि पर रांची, जमशेदपुर, बोकारो, लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किये गए। जमशेदपुर में गाँधी शांति प्रतिष्ठान में गोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी, बोकारो में गाँधी साहित्य प्रदर्शनी सहित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 'गाँधी-विनोबा जय प्रकाश चिंतन केंद्र' में गोष्ठी की गयी. हजारीबाग में गाँधी स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा की गई.

विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी : राज्य में चल रहे एनआरसी, एनपीआर और सीएए विरोधी आंदोलनों में सर्वोदय मित्र मंडल के सदस्यों की भागीदारी रही। सोनाली प्रभा और संयोजक डा. विश्वनाथ आज़ाद ने रांची में 1 फ़रवरी और 16 फ़रवरी 2020, कोडरमा के आशनाबाद में 19 फ़रवरी और बोकारो के शिवनडीह में 21 फ़रवरी को भाग लेकर अपने विचारों से सभी को अवगत कराया. बोकारो सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष अदीप कुमार और प्रीति रंजन ने शिवनडीह में अपनी बात रखी और गाँधी साहित्यों का लोगों के बीच वितरण किया।

-विश्वनाथ आज़ाद

श्रद्धांजलि

सुहास सरोदे

यवतमाल, महाराष्ट्र स्थित सर्वोदय विचार केन्द्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ सर्वोदयी सुहास सरोदे का 16 जनवरी को यवतमाल में देहांत हो गया। वे 76 वर्ष के थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सहयोगी और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के सिपाही रहे सुहास सरोदे, यवतमाल में सघन क्षेत्र मानकर एक विद्यालय चलाते थे। उन्होंने आजीवन छात्र-छात्राओं के बीच गांधी, विनोबा और जेपी के विचारों का प्रचार-प्रसार किया। इसके लिए वे विद्यालयों में गांधी-विचार परीक्षाएं आयोजित करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी की रचनात्मक विधा प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके सफल प्रयोग किये तथा ग्रामीण जनमानस में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया। वे राष्ट्रीय युवा संगठन के मार्गदर्शक थे तथा योगासन, प्राणायाम आदि के शिक्षक थे। गांधी विचार के अभ्यासक होने के नाते वे जीवन भर सर्व सेवा संघ तथा महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल से जुड़कर गांधी विचार प्रचार के आजीवन कार्यकर्ता बने रहे। ठाकुरदास बंग के निकट सहयोगी सुहास सरोदे के परिवार ने भूदान आंदोलन के दौरान 100 एकड़ जमीन दान की थी।

म. भा. निसल

सेवाग्राम आश्रम के भूतपूर्व मंत्री और महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष म. भा. निसल का 30 जनवरी को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। पेशे से पशु चिकित्सक म. भा. निसल पशु चिकित्सकों के शिक्षक भी थे। वे सर्व सेवा संघ की रचना समिति के संयोजक भी रहे। सर्वोदय आंदोलन में उन्होंने अपनी शुरुआत युवा प्रबोधन शिविरों के माध्यम से की थी। उस दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न विद्यालयों में उन्होंने अनेक प्रबोधन शिविर आयोजित किये। उनकी धर्मपत्नी नलिनी निसल आजीवन उनके सामाजिक कामों में सहयोगी रहीं। सर्वोदय विचारक गंगा प्रसाद अग्रवाल, पराग चोलकर तथा प्रो. किशोर महाबल आदि के साथ काम करते हुए उन्होंने नागपुर को अपना सघन क्षेत्र बनाया। उन्होंने अपने जीवन में सर्वोदय समाज के कई सम्मेलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा रचना समिति द्वारा आयोजित शिविरों का संयोजन भी किया। वे साम्ययोग के निरंतर लेखक भी थे।

इन दोनों के सम्मान में सर्व सेवा संघ अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है।

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

तीन कविताएं

कल फिर आऊंगा

मैं फिर जनम लूँगा,
फिर मैं
इसी जगह आऊँगा,
उचटती निगाहों की भीड़ में
अभावों के बीच
लोगों की क्षत-विक्षत पीठ सहलाऊँगा,
लँगड़ाकर चलते हुए पाँवों को
कंधा दूँगा,
गिरी हुई पद-मर्दित पराजित विवशता को
बाँहों में उठाऊँगा।

इस समूह में
इन अनगिनत अनचीन्ही आवाज़ों में
कैसा दर्द है,
कोई नहीं सुनता!
पर इन आवाज़ों को
और इन कराहों को
दुनिया सुने, मैं ये चाहूँगा।

मेरी तो आदत है;
रोशनी जहाँ भी हो,
उसे खोज लाऊँगा।
कातरता, चुप्पी या चीख़ें,
या हारे हुओं की खीज;
जहाँ भी मिलेगी,
उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊँगा।

जीवन ने कई बार उकसाकर
मुझे अनुल्लंघ्य सागरों में फेंका है
अगन-भट्ठियों में झोंका है,
मैंने वहाँ भी
ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए,
बचने के नहीं,
तो क्या इन टटकी बंदूक़ों से डर जाऊँगा?

तुम मुझको दोषी ठहराओ
मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है,
पर मैं गाऊँगा।

चाहे इस प्रार्थना सभा में
तुम सब मुझ पर गोलियाँ चलाओ,
मैं मर जाऊँगा,
लेकिन मैं कल फिर जनम लूँगा
कल फिर आऊँगा।

-दुष्यंत कुमार

तुम काग़ज़ पर लिखते हो

तुम काग़ज़ पर लिखते हो
वह सड़क झाड़ता है,
तुम व्यापारी
वह धरती में बीज गाड़ता है।
एक आदमी घड़ी बनाता,
एक बनाता चप्पल
इसीलिए यह बड़ा और वह छोटा,
इसमें क्या बल?

सूत कातते थे गांधी जी
कपड़ा बुनते थे,
और कपास जुलाहों के जैसा ही
धुनते थे।
चुनते थे अनाज के कंकर
चक्की पीसते थे,
आश्रम के अनाज याने
आश्रम में पिसते थे।

जिल्द बाँध लेना पुस्तक की
उनको आता था,
भंगी-काम सफ़ाई से
नित करना भाता था।

ऐसे थे गांधी जी
ऐसा था उनका आश्रम,
गांधी जी के लेखे
पूजा के समान था श्रम।

एक बार उत्साह-ग्रस्त
कोई वकील साहब
जब पहुँचे मिलने
बापूजी पीस रहे थे तब।

बापूजी ने कहा – बैठिये,
पीसेंगे मिलकर
जब वे झिझके,
गांधी जी ने कहा
और खिलकर–
सेवा का हर काम
हमारा ईश्वर है भाई

बैठ गये वे दबसट में
पर अक्ल नहीं आई।

– भवानीप्रसाद मिश्र

गांधी और कविता

एक दिन एक दुबली-सी कविता
जा पहुँची आश्रम में गांधी के
उनकी एक झलक पाने को।

गांधी ने उस पर ग़ौर नहीं किया
वे कात रहे थे सूत
राम की ओर।

कविता ठिठकी रही दरवाज़े पर
कुछ लज्जित सी,
क्योंकि वह भजन नहीं थी।
कविता ने जब अपना गला खँखारा
तो गांधी ने नरक देख चुके
अपने चश्मे की कनखी से
कविता को देखा
और पूछा,
क्या तुमने कभी सूत भी काता है?
कभी मैले से भरी हुई गाड़ी खींची है?
कभी सुबह रसोईघर के धुएँ के बीच
रही हो?
कभी भूख से भी तड़पी हो?'
कविता ने कहा, 'मैं जंगल में जन्मी थी
एक बहेलिये के मुँह में।
एक मछुआरे ने मुझे अपनी झोंपड़ी में
पाला-पोसा।
मैंने कोई काम नहीं सीखा,
बस केवल गाती हूँ।
पहले दरबारों में गाती थी,
तब मैं मांसल और सुन्दर थी
लेकिन अभी सड़क पर हूँ अधपेट।

गांधी कुछ शरारत से मुस्काये–
यह अच्छा है, लेकिन तुम्हें
छोड़नी होगी संस्कृत में कहने की आदत.
खेतों में जाओ और सुनो
किसानों की बातें

कविता अब एक बीज बन गयी
और खेतों में जाकर
इंतज़ार करने लगी किसान का
कि वह आये और
बारिश से नम ज़मीन को गोड़ दे।

-के सच्चिदानंदन

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए प्रकाशक अरविन्द अंजुम द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार।